ARCHIVE

33 वार्षिक रिपोर्ट 1979-80

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS LIBRARY
80701
दिनांक Date
नई दिल्ली NEW DELHI

सदस्यों के लिए निःशुल्क

मूल्य रु. 15·00

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS LIBRARY
34841
दिनांक Date 2002-11-15
नई दिल्ली NEW DELHI

भारतीय मानक संस्था

मानक भवन
9 बहादुर शाह जफर मार्ग
नई दिल्ली 110002

मुख्यालय:

मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002
टेलीफोन: 26 60 21, 27 01 31 तार का पता: मानकसंस्था
(सभी कार्यालयों का समान)

क्षेत्रीय कार्यालय:	**टेलीफोन**
पश्चिम : नावल्टी चैम्बर्स, ग्रांट रोड, बम्बई 400007	37 97 29
पूर्व : 5 चौरंगी एप्रोच, कलकत्ता 700072	27 50 90
दक्षिण : सी. आई. टी. परिसर, आड्यार, मद्रास 600020	41 24 42

शाखा कार्यालय:

'पुष्पक' नूरमुहम्मद शेख मार्ग, खानपुर, अहमदाबाद 380001	2 03 91
'एफ' ब्लाक, यूनिटी बिल्डिंग, नरसिंहराज स्क्वायर, बंगलोर 560002	2 76 49
गंगोत्री काम्पलेक्स, भदभदा रोड, टी. टी. नगर, भोपाल 462003	6 27 16
22ई, कल्पना एरिया, भुवनेश्वर 751014	5 36 27
अहिंसा बिल्डिंग, एस. सी. ओ. 82-83, सेक्टर 17 सी, चंडीगढ़ 160017	2 83 20
5-8-56सी.एल.एन. गुप्ता मार्ग, हैदराबाद 500001	22 10 83
डी-277 टोडरमल मार्ग, बेनी पार्क, जयपुर 302006	6 98 32
117/418 बी सर्वोदय नगर, कानपुर 208005	8 12 72
पाटलीपुत्र इंडस्ट्रियल इस्टेट, पटना 800013	6 28 08
हैंटेक्स बिल्डिंग (दूसरी मंजिल), रेलवे स्टेशन रोड, त्रिवेन्द्रम 695001	32 27

मुद्रक: इन्द्रप्रस्था प्रेस (सी. वी. टी.), नेहरू हाउस, नई दिल्ली 110002

विषय सूची

महानिदेशक का वक्तव्य	1
सिंहावलोकन	4
भारतीय मानकों का निर्धारण	6
गुणता का आश्वासन और प्रमाणन सेवाएँ	13
परिवर्धन गतिविधियाँ	20
भारतीय मानकों का कार्यान्वयन	20
अंतरसंयंत्र और कम्पनी मानकीकरण	20
प्रशिक्षण कार्यक्रम	21
तकनीकी सूचना सेवा	21
जन सम्पर्क	22
भा मा संस्था में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	24
क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय	25
अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग	27
योजनागत प्रायोजनाएँ	32
कार्मिक प्रबन्ध	34
वित्त	36
परिशिष्ट क	
1979-80 वर्ष का परीक्षित लेखा	38
परिशिष्ट ख	
भारतीय मानक संस्था के प्रमुख अधिकारी	52

महानिदेशक का वक्तव्य

संस्था के कार्यकाल के तेतीसवें वर्ष की विशेषता उसके कार्यकलाप की हर दिशा में समान रूप से वृद्धि मानक निर्धारण, परीक्षण और प्रमाणन मुहर अंकन उद्योग, कृषि, व्यापार और वाणिज्य में मानकों का उपयोग; विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना, संवर्धन गतिविधियाँ, आदि सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होती है।

इस वर्ष वर्तमान सेवाओं को सुदृढ़ बनाने की ओर काफी ध्यान तो दिया ही गया; विशेष रूप से परीक्षण और प्रमाणन सेवाओं, निर्यात, संवर्धन और प्रायोजना कार्य सम्बन्धी विस्तार कार्यों और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जुटाने सम्बन्धी योजनाओं पर अमल भी किया गया। भा मा संस्था के कार्यों की मांग जैसे जैसे उद्योग और व्यापार, केन्द्रीय और राज्य सरकारों और अन्य राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में बढ़ती जाती है भा मा संस्था के विकास के लिए किए जाने वाले अतिरिक्त प्रयासों की दृष्टि से सुपरिभाषित दीर्घकालीन योजनाओं का अनुपालन और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

इस वर्ष के अंत में लागू भारतीय मानकों की कुल संख्या 10 369 हो गई थी जिसमें 338 पुनरीक्षित मानकों के अतिरिक्त 475 नये मानक हैं। स्वीकृत प्रमाणन मुहर लाइसेंसों की संख्या 8 633 हो गई, इनमें 950 नए लाइसेंस हैं। 56 नए उत्पादों के लिए इस वर्ष लाइसेंस दिए गए, इनमें उपचारित अनाज, बच्चों के दूध छुड़ाने के आहार, कम तेज़ साबुन और गद्दों के लिए रबड़ चढ़ी नारियल जटा की शीटें सम्मिलित हैं।

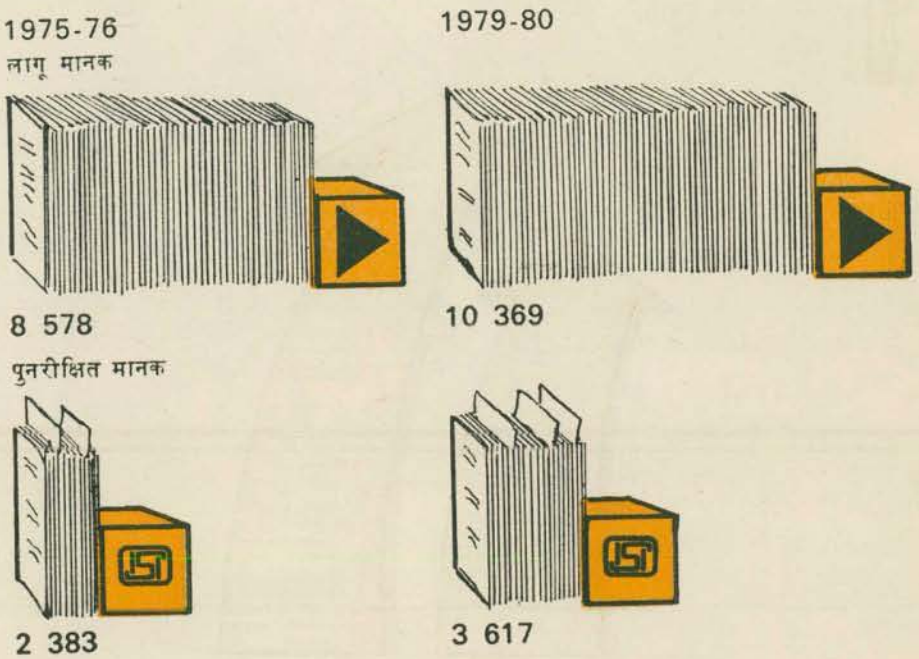

भारतीय मानकों की वृद्धि

राज्य सरकारों द्वारा लघु और मध्यम पैमाने के उद्योगों को सहायता प्रदान करने से इस वर्ष भा मा संस्था के सहयोग प्रयासों में नया युग प्रारम्भ हुआ है। बिहार सरकार ने अगस्त 1979 में लगभग 4 लाख रुपए लागत की पटना की प्रयोगशाला और उपकरण भा मा संस्था को सौंपा है। यह प्रयोगशाला हाल ही में बनी थी। इस प्रकार की व्यवस्था भा मा संस्था के लिए प्रथम है। इसके अधीन प्रयोगशाला के भवन निर्माण और पूंजीगत उपस्कर की लागत राज्य सरकार वहन करती है और उसका संचालन तथा प्रबंध व्यय संस्था उठाती है। यह प्रयोगशाला लघु उद्योगों के उत्पादों का उन्नतिशील परीक्षण, परीक्षण पद्धतियों में प्रशिक्षण, और राज्य गुणता अंकन योजना का संचालन, और औद्योगिक एककों को परामर्श सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करेगी और दूसरी ओर भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के लाइसेंस प्राप्त औद्योगिक एककों पर नियंत्रण तथा देख-रेख का भी कार्य करेगी।

विकासशील देशों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, परामर्शदायी सेवाओं और विशेषज्ञों की प्रतिनियुक्ति जैसे कार्यों द्वारा अपना तकनीकी अनुभव तथा जानकारी दुसरों तक पहुंचाना, इधर कुछ वर्षों से संस्था की महत्वपूर्ण गतिविधि बन गई है। संस्था के इस कार्य के प्रति अनेक देशों में रुचि उत्पन्न हुई है जिसके फलस्वरूप भा मा संस्था की सेवाओं की मांग दिनोदिन बढ़ती जा रही है।

31 मार्च 1980 को संस्था के विभिन्न वर्गों के चंदादायी सदस्यों की संख्या 5 861 थी। इससे 42.9 लाख रुपयों की रकम चंदे के तौर पर प्राप्त हुई। पिछले वर्ष सदस्य संख्या 5 646 थी और प्राप्त चंदे की राशि 41.7 लाख रुपए थी। भारतीय मानकों तथा अन्य प्रकाशनों की बिक्री 35.6 लाख रुपयों की हुई, गत वर्ष की अपेक्षा बिक्री 16 प्रतिशत अधिक रही, अर्थ यह है कि संस्था के प्रकाशनों का उपयोग और उनका प्रचार और अधिक हुआ।

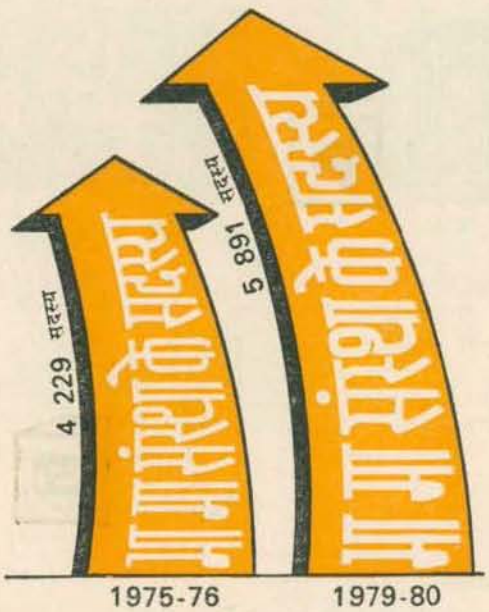

पिछले वर्षों में भा मा संस्था के सदस्यों की वृद्धि

संस्था की महापरिषद की 35वीं बैठक 29 नवम्बर 1979 को तत्कालीन केन्द्रीय वाणिज्य, नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्री श्री हितेन्द्र देसाई की अध्यक्षता में हुई। श्री डी. सी. कोठारी और श्री हरीश महिन्द्रा भा मा संस्था के उपाध्यक्ष 31 दिसम्बर 1980 को समाप्य अगले वर्ष के लिए चुने गए। इस वर्ष कार्यकारी समिति तथा वित्त समिति की क्रमशः चार और तीन बैठकें हुईं।

संस्था को अपने कार्यों और कार्यक्रमों, और विशेष रूप से राष्ट्रीय मानकों के निर्धारण कार्य में बहुत बड़ी संख्या में विशेषज्ञों, इंजीनियरों और शिल्पियों, उद्योगपतियों, व्यापारियों, निजी तथा सरकारी क्षेत्रों के तकनीकी प्रबंधकों, इत्यादि से पूर्ववत् परामर्श तथा सहयोग प्राप्त होता रहा। संस्था की समितियों में मानार्थ रूप में काम करने वाले इन विशेषज्ञों की संख्या अब 34 600 हो गई है। मानकीकरण के हित के लिए अपना बहुमूल्य समय और अनुभव का संयुक्त रूप से लाभ संस्था को जुटा सकने के उपलक्ष में, मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ तथा धन्यवाद देता हूँ।

सिंहावलोकन

पूर्व वर्षों की ही भांति भा मा संस्था की कुछ गतिविधियों के सम्बन्ध में जो लक्ष्य निर्धारित किए गए संस्था के साधनों तथा प्रयासों को उन्हीं के अनुसार दिशा प्राप्त होती रही। इन लक्ष्यों के संदर्भ में गत वर्ष का कार्य निश्चित रूप से बहुत रूपों में अच्छा माना जा सकता है।

भा मा संस्था की गतिविधियों के प्रमुख क्षेत्र हैं: मानकों का निर्धारण, गुणता आश्वासन और प्रमाणन सेवाएं, और संवर्धक गतिविधियां जिनके अधीन मानकों का कार्यान्वयन, सूचना सेवाएं, जन सम्पर्क और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के माध्यम से विस्तार सेवाएं। इन वर्षों में मानकीकरण के क्षेत्र में अन्य देशों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग भी बढ़ता आया है।

मानक निर्धारण के क्षेत्र में अब तक लगभग 800 मानक प्रतिवर्ष तैयार होते आए थे। समीक्षागत वर्ष में इस स्तर में थोड़ी वृद्धि हुई है। इस वर्ष जिन क्षेत्रों में अधिक जोर दिया गया उनमें सिविल, यांत्रिक और विद्युत इंजीनियरी, कृषि और खाद्य उत्पाद, और रसायन उल्लेखनीय हैं। अपेक्षातः नवीन क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रानिकी और दूर संचार, और पेट्रोलियम, कोयला और सम्बद्ध उत्पाद की ओर भी काफी ध्यान दिया गया। पेट्रोलियम उत्पादों के मानकीकरण की गति तेज की जा रही है; उद्देश्य यह है कि या तो खपत में बेहतर कार्य कुशलता द्वारा वृद्धि की जाए अथवा ऊर्जा स्रोतों के उपयोग में समझ बूझ के प्रयोग द्वारा उनकी उपलब्ध मात्रा में बढ़त की जाए।

प्रमाणन मुहर योजना के अधीन स्वीकृत लाइसेंसों और लाइसेंसगत उत्पादों की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। लाइसेंसगत उत्पादों में प्रमुख उल्लेखनीय हैं: कीटनाशक दवाएं, इस्पात केबल और चालक, ज्वालासह बिजली के उपस्कर, बिजली के मोटर, निर्माण सामग्री तथा अन्य इंजीनियरी वस्तुएं, रसायन खाद्य उत्पाद और खाद्य रंग, डीजल इंजन, पम्प, एलपीजी सिलिंडर, वाल्व और अन्य यांत्रिक इंजीनियरी वस्तुएं। इस वर्ष पटसन, वस्त्रादि एवं वस्त्र मशीनादि, धातु की वस्तुओं, प्लाईवुड के तख्ते, पट्टियां और धातु के फिटिंगों, उपभोक्ता उत्पादों, चिकित्सा उपकरणों और पेट्रोलियम कोयला तथा सम्बद्ध उत्पादों के लाइसेंसों में अच्छी वृद्धि हुई।

योजना के अधीन अनेक उपभोक्ता हितों की वस्तुओं के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए गए, यह इस तथ्य के परिचायक हैं कि मानक हानिकर तथा घटिया वस्तुओं से लोगों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भा मा संस्था के लाइसेंसधारियों को केरल राज्य सरकार की ओर से मानकीकरण तथा गुणता नियंत्रण को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से परीक्षण उपकरणों की खरीद के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की गई। संगठित खरीदारों जैसे राज्य सरकारों, सहकारी संस्थाओं, राज्य विद्युत मंडलों, शिक्षा संस्थानों द्वारा भा मा संस्था मुहर लगे माल की खरीदारी को तरजीह देना भा मा संस्था लाइसेंसधारियों के लिए एक अन्य प्रोत्साहन है। इन तथा अन्य प्रयासों के द्वारा कृषि और कारखानों में भारतीय मानकों के और व्यापक रूप से परिपालन में सहायता प्राप्त हुई। वैसे तो सरकार, उद्योग और राष्ट्रीय संगठनों की ओर से मानकीकरण को उत्तरोत्तर अधिक मान्यता तथा समर्थन प्राप्त होता रहा है, फिर भी अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें संस्था की सेवाओं और गतिविधियों के बारे में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता बनी हुई है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय कार्य में भागीदारी के सम्बन्ध में भा मा संस्था की छवि उसी रूप में बनी रही और अनेक अवसरों पर उसे प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। वैसे तकनीकी समितियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए जाने वाले शिष्टमंडलों की संख्या देश के व्यापार तथा अन्य तकनीकी आर्थिक समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए विशेष क्षेत्रों तक सीमित रही। सितम्बर 1979 में जेनेवा में हुई त्रिवर्षीय ग्यारहवीं महासभा की प्रमुख विशेषता यह रही कि भारत को 3 वर्ष की अवधि (1980-82) के लिए आई एस ओ परिषद का सदस्य चुना गया। दिसम्बर 1981 को समाप्य 2 वर्ष की अवधि के लिए महानिदेशक को आई एस ओ की आयोजना समिति (प्लैको) का सदस्य नियुक्त किया गया।

1975-76 2 096

1979-80 2 160

समितियां

1 खंड बराबर है 100 समितियों के

832

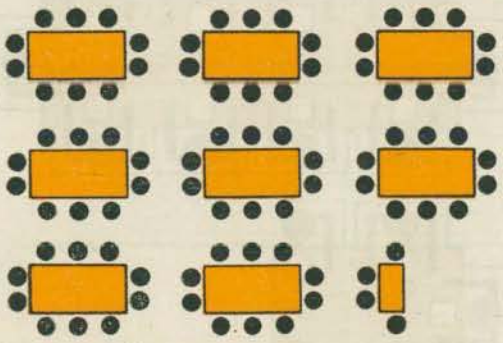

873

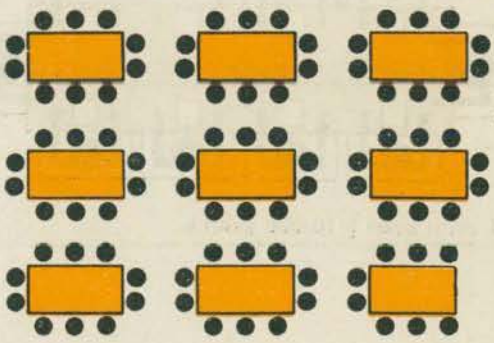

आयोजित बैठकें

1 सारणी बराबर है 100 बैठकों के

समितियों और उनकी गतिविधियों में वृद्धि

देशी पावर थ्रेशर के उपयोग में सुरक्षा सुनिश्चित करने सम्बन्धी मार्गदर्शन के बारे में सिफारिश की थी और अब उन्हीं बातों के आधार पर कानून बनाने सम्बन्धी तथा अन्य उपाय किए जा रहे हैं।

गतवर्ष निम्नलिखित कुछ विकास परक अनुसंधान कार्य किए गए जैसे फेनिट्रॉथियोन और मिथाइल पैराथियोन पायसनीय सान्द्रों में सक्रिय घटकों को ज्ञात करने की पद्धतियां, डाइमिथाइलेट की निर्धारण पद्धति, उसना चावल की भूसी सम्बन्धी अपेक्षाओं का विवरण, शराब की बोतलों में भरे निवल आयतन पर छूट।

रसायन

रसायन विभाग परिषद ने जिन महत्वपूर्ण विषयों पर प्रमुख रूप से काम किया वे हैं: खाद्य सामग्रियों और औषधियों की पैकिंग के लिए एलुमिनियम पन्नियों के वर्क, गौण खाद्य तेल, और चिनगारी दहन इंजनों द्वारा चालित वाहनों के लिए कार्बन मोनोआक्साइड उत्सर्जन की सीमाएं।

अन्य उल्लेखनीय निम्नलिखित मानक निर्धारित किए गए: आयतनी कांच सामान की अंशाकन सारणी और सत्यापन की पद्धति (IS : 8879-1978), आम की गुठली की वसा,

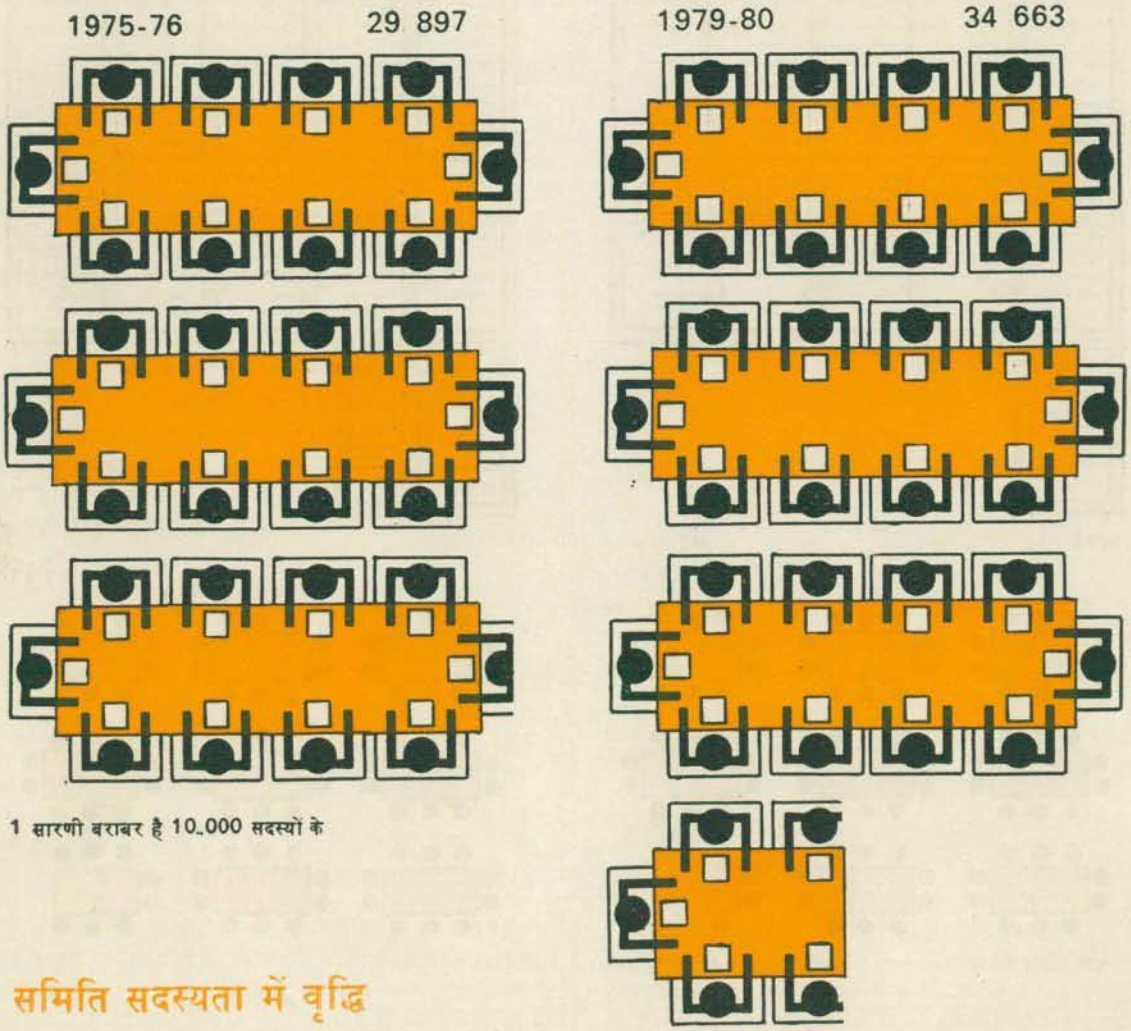

1 सारणी बराबर है 10,000 सदस्यों के

समिति सदस्यता में वृद्धि

(IS : 9231-1979), और अमादी तेल (IS : 9232-1979) की विशिष्टि और निर्यात के लिए फिनिश कृत चमड़े की पहिचान सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत (IS : 8170-1979)।

नहाने के भारतीय साबुनों का 'गुणता मूल्यांकन' — केन्द्रीय नागरिक पूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय के सुझाव के आधार पर संस्था के सांख्यिकीय विभाग द्वारा लोकप्रिय 22 मार्का वाले नहाने के भारतीय साबुनों की गुणता का मूल्यांकन और तुलना का कार्य किया गया। गुणता मूल्यांकन का यह कार्य IS : 2888-1974 की अपेक्षाओं के आधार पर किया गया। IS : 2888-1974 की अपेक्षाओं के अनुरूप साबुनों के ग्रेड निर्धारण के लिए प्रति स्नान लागत की संधारणा (साबुन की टिक्की का मूल वजन, उसका मूल्य और प्रति स्नान खपत के आधार पर) का इस्तेमाल किया गया।

सिविल इंजीनियरी विभाग

इस वर्ष सिविल इंजीनियरी विभाग परिषद द्वारा निर्धारित और पुनरीक्षित मानकों से निर्माण की लागत, पानी, पानी इकठ्ठा होने से रोकने, नहरों के अस्तर की रखरखाव लागत में कमी करने में सहायता मिलेगी।

सादे और प्रबलित कंक्रीट की रीति संहिता (IS : 456-1978) के पुनरीक्षित संस्करण में निम्नलिखित महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं: (क) सीमित स्टेट डिजाइन के प्रयोग द्वारा कंक्रीट संरचनाओं की डिजाइन के लिए युक्तिसंगत विधि, और (ख) सांख्यिकीय सिद्धांतों के आधार पर कंक्रीट स्वीकृति सम्बन्धी खण्डों, और टूट फूट और कर्तन सम्बन्धी खण्डों का पुनरीक्षण।

IS : 9119-1979 जेट लक्षणों द्वारा बहाव नापने की पद्धति (आसन्न पद्धति) का उपयोग क्षैतिज नलियों में होकर बहाव की वर करीब करीब मालूम करने के लिए किया जा सकता है। जैसे किसी ट्यूबवेल में लगे पम्प द्वारा पानी का बहाव या अन्य लिफ्ट पम्प द्वारा हवा में निर्बाध उत्सर्जन। इस मानक में सुविधाजनक गणना के लिए संरेखण चार्ट भी दिया गया है।

नहरों के लिए रिसाव द्वारा होने वाले नुकसान को नापने की रीति संहिता (तालाब पद्धति और अन्तर्गम-बहिर्गम पद्धति) के द्वारा खुली नहरों में बिना इस बात का ध्यान रखे कि नहर या मिट्टी की स्थिति क्या है, रिसाव द्वारा होने वाले नुकसान को सही सही नापा जा सकता है। बिना अस्तर वाली नहरों में रिसाव द्वारा होने वाले नुकसान का सही आकलन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे अस्तर वाली नहरों से होने वाले लाभों का पता लगाने में सहायता मिलती है।

इस विभाग परिषद ने 107 नए तथा पुनरीक्षित मानकों पर काम किया और 113 मानक मसौदे परिचालित किए।

उपभोक्ता उत्पाद और चिकित्सा उपकरण विभाग

उपभोक्ता उत्पाद — इस वर्ष जिन मानकों का निर्धारण और पुनरीक्षण किया गया उनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय हैं:

कई बर्नर वाले तेल दाब स्टोवों की विशिष्टि (IS : 2787-1979) जो सर्वप्रथम 1964 में प्रकाशित हुआ था उसका पुनरीक्षण किया गया तथा इसमें डिजाइन सम्बन्धी परिवर्तन, निर्माण में छूटें और अन्य आवश्यक संशोधनों को समाहित किया गया जिससे वह अधिक सरलता से लागू हो सके।

भारत के लघु और कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों में उत्पादन के लिए मशीन द्वारा निकाले गए नारियल जटा के रेशे (कड़े नारियल जटा रेशे, गद्दों वाले नारियल जटा रेशे और छिले हुए नारियल जटा रेशे) के लिए मानक निर्धारित किए गए। इन मानकों द्वारा उद्योग और उपयोगकर्ता को उपयुक्त मार्ग निर्देशन मिलेगा तथा इनके द्वारा इन वस्तुओं की गुणता सुधारने में भी सहायता प्राप्त होगी।

नारियल जटा और नारियल जटा उत्पाद विषय समिति के अनुरोध पर कड़े नारियल जटा के रेशों, छिले नारियल जटा रेशे और गद्दों वाले नारियल जटा रेशों की लम्बाई, अंशाकन पर केरल के केन्द्रीय नारियल जटा रेशा अनुसंधान संस्थान, कलावूर द्वारा अनुसंधान कार्य किया गया। भारत के लघु और कुटीर उद्योगों द्वारा उत्पादित रेशों की बानगी का विश्लेषण किया गया और रिपोर्ट के आधार पर विभिन्न ग्रेडों के रेशों की लम्बाई का निर्धारण समिति द्वारा किया गया।

चिकित्सा उपकरण — इस वर्ष अस्पतालों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक महत्वपूर्ण मानक, सामान्य चिकित्सा वस्तुओं के लिए ट्राली की विशिष्टि (IS : 9133-1979) निर्धारित किया गया। इसमें ट्राली की शक्ल, माप, सामग्री और निर्माण सम्बन्धी अपेक्षाएं दी गई हैं। सुरक्षा और सुरक्षित धरा-उठाई की दृष्टि से इसमें हर तरफ तार की जाली लगाई गई है। यदि खरीदार कहे तो इसका ढांचा कब्जों द्वारा एक तरफ से खोला जा सकता है।

अस्पतालों के अंतरंग रोगियों के लिए बैक्टीरिया रहित पानी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बैक्टीरिया रहित पीने के पानी की विशिष्टि (IS : 9310-1971) निर्धारित की गई है।

इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार विभाग

इस वर्ष विभाग परिषद द्वारा निर्धारित 65 मानकों में से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं: कर्ण रक्षकों की विशिष्टि, दूरदर्शन चित्रट्यूब के साथ प्रयोग होने वाले विचलन कॉयल इकाइयों की विशिष्टि और इलेक्ट्रॉनिक तोल तंत्रों की विशिष्टि।

कर्ण रक्षकों सम्बन्धी मानक द्वारा उच्च तीव्रता की ध्वनि के कारण होने वाली क्षति को कम करने तथा रोकने में सहायता मिलेगी। इसमें वैयक्तिक श्रवण रक्षणों की युक्तियों के लिए कार्यकारिता अपेक्षाएं दी गई हैं तथा इसमें कर्ण प्लगों, कर्ण मफों और हेलमेटों की अपेक्षाएं भी दी गई हैं।

दूरदर्शन की चित्रट्यूबों के साथ इस्तेमाल होने वाली विचलन कॉयल इकाइयां जो दूरदर्शन रिसीवर सेटों का नाजुक पुर्जा होती हैं के बारे में विद्युत यांत्रिक तथा वातावरणीय गुणों और परीक्षण पद्धतियों के लिए अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं। मानक के पारिभाषिक शब्दावली और मापन पद्धतियों सम्बन्धी भाग 1 और 2 में क्रमशः प्रत्येक कार्यकारिता लक्षण के लिए प्रचलित पारिभाषिक शब्द और इन लक्षणों के परीक्षण मूल्यांकन के लिए एक समान परीक्षण विधियां दी गई हैं।

इस वर्ष अनुसंधान और विकास की गतिविधियां प्रमुख रूप से भारत में उत्पादित एक वर्णीय दूरदर्शन प्रसारणों के रिसीवरों में तीव्र प्रकाशीय चमक और विषमता अनुपात पर केन्द्रित रही। परीक्षण, मूल्यांकन और अंशाकन केन्द्र (रा भौ प्रयोग) और आकाशवाणी के अनुसंधान विभाग द्वारा इन मानों को निर्धारित करने के लिए अनुसंधान कार्य किया गया। आकाशवाणी के अनुसंधान केन्द्र पर इन मानों को सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की गई। इन अनुसंधानों के परिणामस्वरूप IS : 4547-1978 के लिए संशोधन संख्या 1 जारी किया गया जिसमें तीव्र प्रकाशीय चमक और विषमता अनुपात के मान निर्धारित किए गए।

हमारे देश में बने ध्वनि रिकार्ड करने तथा उन्हें पुनः बजाने के चुम्बकीय टेपों (कैसेटों) के लिए विभिन्न विद्युतीय प्राचलों के मानों के निर्धारण के लिए राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला में अनुसंधान किया गया। इस अनुसंधान के परिणामस्वरूप ध्वनि रिकार्ड करने और पुनः बजाने के चुम्बकीय टेपों (कैसेटों) सम्बन्धी भारतीय मानक को अन्तिम रूप दिया गया जिसमें इन लक्षणों सम्बन्धी मान दिये गये हैं।

विद्युत तकनीकी विभाग

इस वर्ष विद्युत तकनीकी विभाग परिषद ने 72 नए और पुनरीक्षित मानक तैयार किए। इसके अतिरिक्त 68 मानकों को अंतिम रूप दिया गया तथा 72 मानक मसौदे परिचालित किए गए। किफायत और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किए गए कार्य की दिशा और उसके महत्व की जानकारी निम्नलिखित मानकों से होती है:

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मरों के खराब हो जाने से बचाने की दृष्टि से 100 कि वो ए, 11 वो तक के बहिरंग उपयोग के लिए सीलबंद प्रकार के तीन फेजी वितरण ट्रांसफार्मरों की विशिष्टि [IS : 1180 (भाग 2)-1979] तैयार की गई है। ट्रांसफार्मरों की सीलबंद बनावट में रोधन तेल का कार्यकाल बढ़ जाता है, क्योंकि वह वायुमंडल के सम्पर्क में नहीं आ पाता।

भारी कार्यों के लिए शुष्क बैटरियों के मानक (IS : 9128-1979) में वे शुष्क सेल आते हैं जिनमें कि सेलों से निर्गमित विद्युत धारा ट्रांजिस्टर रेडियो के लिए वांछित धारा से अधिक होती है और अधिक समय के लिए होती है। इन सेलों का उपयोग कैसेट टेप रिकार्डर, मोटर चालित खिलौनों, भारी कार्यों के लिए प्रकाश व्यवस्था, कैलकुलेटर, आदि में किया जाता है। इस मानक में इन सेलों के लिए एक परीक्षण इस बात के लिए दिया गया है कि अपने संस्तुत कार्यकाल से अधिक समय तक प्रयोग किए जाने पर भी सेल रिसें नहीं।

हृद-डिफिब्रिलेटरों के साथ विशेष समस्याएं हैं। न केवल इनमें प्रचालक के लिए बिजली के झटके का खतरा रहता है बल्कि डिफिब्रिलेटर को काफी अर्से तक भंडार में रखे रहने के बावजूद भी निश्चित मात्रा में विद्युत देनी होती है नहीं तो रोगी के लिए खतरा हो जाता है। हृद-डिफिब्रिलेटर के लिए निर्धारित मानक (IS : 9286–1979) में उसके प्रचालन में पर्याप्त सुरक्षा तथा रोगी के लिए प्रयोग में विश्वसनीयता के उद्देश्य से डिजाइन निर्माण और विद्युत कार्यकारिता सम्बन्धी न्यूनतम अपेक्षाएं निर्धारित की गई हैं।

श्वेत अभ्रक खंडों, पतली परतों और फिल्मों के मानक (IS : 9455-1980) में अभ्रक को उसके विद्युत गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया गया है और इस वर्गीकरण में अभ्रक के बहुप्रचलित उपयोग, संधारित्रों में परावैद्युत के रूप में इसके उपयोग का ध्यान रखा गया है।

अभ्रक के महत्व और इसके निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टि में रखकर यह प्रस्ताव किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस विषय को मानकीकरण के लिए आई एस ओ/टी सी 56 अभ्रक के माध्यम से उठाया जाए।

जहाजरानी, भारवहन और पैकेजबंदी विभाग

इस वर्ष विभाग परिषद ने निम्नलिखित प्रमुख गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित किया:

क) सभी प्रकार के मछुवाही नावों के पुर्जे और उपकरणों सम्बन्धी मानकीकरण के लिए समस्याग्रस्त विषयों का चयन । इसके अन्तर्गत ये विषय आते हैं: यंत्रचालित मछुवाही नावों के लिए नोदन तंत्र की उपयुक्तता, स्वीकृति परीक्षण और परख, और यंत्रहीन पोतों की बारदू सामग्री का प्रतिस्थापन । हमारे देश में यंत्रचालित नावों के लिए उपयुक्त शक्ति के नोदन इंजनों का चयन महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों की प्रवृति कार्य से अधिक शक्तियुक्त मशीनादि चुनने की है । कार्यों की निश्चिति और इंजन के उपयुक्त चयन से ईंधन की बचत होगी और यह राष्ट्र के हित में होगा ।

ख) नौभार परिवहन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के उद्देश्य से देश के अनुरूप भार प्रणाली की इकाई का विकास — इस कार्य से वितरण प्रणाली सम्बन्धी खर्च का अंग जुड़ा हुआ है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि देश के अन्दर और बाहर भार इकाई कहां तक पारस्परिक पद्धतियों के अनुरूप माड्यूल परक तथा संगतिपूर्ण है ।

ग) पैकेजबंदी के लिए संहिता निर्धारण करने हेतु एक तकनीकी समिति स्थापित करना जो भारत में पैकेजबंदी के क्षेत्र में विकास के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए और सामग्रियों के अभीष्टतम उपयोग की दृष्टि से सभी विद्यमान संहिताओं को मिलाकर एक संहिता बनाए इसके अतिरिक्त लागत, किस्मों में कमी, उपभोक्ताओं की पसंद, आदि को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के पैकेजों की डिजाइन के लिए सामान्य सिद्धांत निश्चित करना ।

भारत में आई एस ओ/टी सी 8 — पोत निर्माण की दो समूह बैठकें आयोजित की गईं । प्रमुख पोत निर्माण और जहाजरानी उद्योगों ने इन बैठकों में भाग लिया जिनमें भारत की वर्तमान नौ गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया ।

इस वर्ष 42 प्रलेख प्रकाशनार्थ भेजे गए तथा विभिन्न समितियों द्वारा विचारार्थ 41 नए प्रलेख तैयार किए गए । इसके अतिरिक्त तकनीकी समिति के कार्यक्रम में 55 नए विषय जोड़े गए ।

यांत्रिक इंजीनियरी विभाग

विभाग परिषद द्वारा निर्धारित 147 मानकों में से निम्नलिखित विशेष महत्व के हैं:

क) IS : 1476-1979 घरेलू प्रशीतित्रों (रेफरीजरेटरों) की विशिष्टि (हस्तचालित) (दूसरा पुनरीक्षण),

ख) IS : 8198 (भाग 3)-1979 दाब युक्त गैसों के लिए इस्पात के सिलिंडरों की रीतिसंहिता: भाग 3 सामान्य कार्बनिक प्रशीतक गैसें,

ग) IS : 9079-1979 कृषि कार्यों के लिए साफ, ठंडे, ताजे पानी के लिए मोनोसेट पम्पों की विशिष्टि,

घ) IS : 9094 (भाग 1)-1979 ड्रिल चक के गावदुम आर्बर की विशिष्टि: भाग 1 गावदुम शैंकों वाली,

ङ) IS : 9112-1979 चूड़ियों के माइक्रोमीटर की विशिष्टि,

च) IS : 9123-1979 खानों में उपयोग के लिए बैटरी इंजनों की विशिष्टि, और

छ) IS : 9173-1979 स्वदीप्त नुमा रेटिनादर्शी की विशिष्टि ।

पैट्रोलियम, कोयला तथा सम्बद्ध उत्पाद

विभाग परिषद द्वारा कृत कार्य में स्वचलित अंतर्दाही इंजनों के लिए पुनः परिशोधित स्नेहन तेल सम्बन्धी भारतीय मानक (IS :9048-1979) का निर्धारण विशेष उल्लेखनीय है । इस मानक में पुनः परिशोधित आधार पदार्थों से उत्पादित स्नेहन तेलों के बानगी लेने और परीक्षण की पद्धतियों सम्बन्धी अपेक्षाएं दी गई हैं । आशा की जाती है कि इस मानक द्वारा देश को इस कीमती सामग्री का संरक्षण करने और वैज्ञानिक पद्धति द्वारा उपयुक्त परिशोधन के बाद पुनः इस्तेमाल करने में सहायता मिलेगी । इसके अतिरिक्त अन्य विशेष उल्लेखनीय मानक इंजनपरीक्षण पद्धति से संबंधित है जिसमें अंतर्दहन इंजन क्रैंककेस तेल के प्रक्षालक लक्षणों के मूल्यांकन के लिए इंजन परीक्षण पद्धति दी गई है यह पद्धति आगे चलकर आयातित पीटर ए वी 1 इंजन का प्रयोग करने वाली इंजन परीक्षण पद्धति के स्थान पर प्रयोग की जाने लगेगी ।

आज बढ़ते हुए ऊर्जा संकट के कारण यह आवश्यकता महसूस की गई कि विभिन्न समितियों की गतिविधियों को ऐसे मानकों के निर्धारण के लिए और तेज किया जाए जिनसे या तो पेट्रोलियम उत्पादों की खपत सम्बन्धी कार्यकुशलता बढ़ाकर जैसे अधिक कार्यकुशल मिट्टी के तेल के स्टोव, या ऊर्जा स्रोतों के विवेकपूर्ण उपयोग द्वारा, पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता बढ़ा सके । विभाग परिषद ने इस बात पर जोर दिया है कि ऊर्जा स्रोत और औद्योगिक निवेश के रूप में पेट्रोलियम पदार्थों की कमी से निबटने के लिए मानकीकरण गतिविधियों को इस ओर प्रवृत्त किया जाए ।

संरचना और धातु

संरचना और धातु विभाग परिषद द्वारा निर्धारित और पुनरीक्षित मानकों में से कुछ निम्नलिखित के सम्बन्ध में हैं:

चुम्बकीय परिपथों के लिए अनभिविन्यस्त इस्पात की चद्दर और पट्टियां, प्रबलित ईंट और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट संरचना में इस्पात प्रबलन के संक्षारण से बचाव की रीति संहिता, स्वचल वाहनों और सहायक उद्योगों के लिए युक्तिसंगत इस्पात-रसायनिक संगठन, रेजर ब्लेडों के लिए शीत वेल्लित स्टेनलेस इस्पात की पत्तियों की विशिष्टि, प्रबलित कंक्रीट संरचना के लिए ठंडे कार्य किए इस्पात की छड़ों की वेल्डिंग सम्बन्धी सिफारिशें, कृषि जुताई डिस्कों के निर्माण के लिए गरम वेल्लित इस्पात की पट्टियां, चद्दरें और पत्तियां, संरचना इंजीनियरों के लिए भारतीय मानकों की हैंडबुक — शीत रुपायित हल्के गेज वाली इस्पात संरचनाएं (टिप्पणी, डिजाइन सारणी और चार्ट, और डिजाइन के उदाहरण) ।

मिश्र इस्पात के बिलेट और इंगटों के भारतीय मानक — प्रमुख इस्पात संयंत्रों, लघु इस्पात संयंत्रों और पुनर्वेल्लन मिलवालों के विशेषज्ञों की एक विशेष बैठक हुई जिसमें मिनी इस्पात संयंत्रों और पुनर्वेल्लन मिल वालों से संयुक्त रूप से भारतीय मानकों में जोड़े जाने वाली अपेक्षाओं के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हो सके जिससे कि वे अपने उत्पादों पर भा मा संस्था प्रमाणन मुहर का इस्तेमाल करते हुए सरकार द्वारा घोषित नीति के अनुसार अनुमत के अतिरिक्त और अन्य वस्तुओं का उत्पादन प्रारम्भ कर सकें ।

विभाग परिषद द्वारा नियुक्त विशेष पैनल ने वेल्डनीयता के सभी पहलुओं पर विचार करने के उद्देश्य से वेल्डनीयता की परिभाषा निर्धारित की है । उपयुक्त रासायनिक संघटन और सक्रिय गुणधर्म निश्चित किए हैं तथा संरचना इस्पात सम्बन्धी परीक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है ।

वस्त्रादि विभाग

वस्त्रादि विभाग परिषद ने 44 नए और पुनरीक्षित मानक निर्धारित किए हैं, इनके निम्नलिखित मानक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं: सूती चेफर कपड़े की विशिष्टि, बेल्ट बनाने की सूती डक, ऊनी नमदा (दबा हुआ) और सादी बुनी सूती बनियान ।

मानक निर्धारण के लिए उपभोक्ता रुचि के ये विषय चुने गए हैं: वस्त्रों के रंग का पक्कापन और वस्त्रों के मिश्रण (ब्लेंड) घटक । आई एस ओ स्तर पर बास्ट रेशों पर कार्य करने का प्रस्ताव भी रखा गया था ।

बिना बुने वस्त्रों पर कार्य करने के लिए एक नई तकनीकी समिति गठित की गई है ।

कार्यकारी समितियां

विभिन्न विभाग परिषदों के अंतर्गत मानक निर्धारण में रत विषय समितियों के अतिरिक्त कुछ समितियां ऐसी भी हैं जो भा मा संस्था की कार्यकारी समिति के मार्ग निर्देशन में कार्य करती हैं । इन समितियों के दो कार्य क्षेत्र हैं: सांख्यिकी गुणता नियंत्रण और प्रकाशन, प्रलेखन और पुस्तक विज्ञान ।

प्रकाशन और प्रलेखन — इस वर्ष प्रलेखन विषय समिति ने निम्नलिखित मानकों को अन्तिम रूप दिया:

क) तकनीकी रिपोर्टों के लिए संदर्भ सूची विवरण पत्र तैयार करने की निदेशिका, और
ख) रोल माइक्रोफिल्म में बिम्बों के स्थान निर्धारण सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धांत ।

प्रकाशन और ग्राफीय प्रौद्योगिकी विषय समिति ने IS : 7160 (भाग 7)-1980 पाठ्य पुस्तकों के लिए मुद्रण क्षेत्र, हाशिए और टाइप साइजों की संदर्शिका: भाग 7 बँगला पाठ्य पुस्तकों के मुद्रण को अन्तिम रूप दिया ।

सांख्यिकी — औद्योगिक साधनों के सांख्यिकीय माडलों (IS : 9300-1979) की श्रेणी में प्रकाशनार्थ महत्वपूर्ण दो भारतीय मानकों को अन्तिम रूप दिया गया । भाग 1 में असतत माडल तथा भाग 2 में सतत माडल दिए गए हैं । काँचाभ सेनीटरी उपकरण (IS : 1100-1979), इस्पात की ढली वस्तुएं (IS : 9140-1979) और लोह अयस्क छर्रों (IS : 9101-1979) के लिए बानगी लेने के मानक भी तैयार किए गए ।

मानकीकरण कार्य के विभिन्न पक्षों जैसे निम्नलिखित पर विस्तृत अन्वेषण तथा परिणामी आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषण किए जैसे:

क) कुटीर उद्योग में बने धुलाई साबुन, वर्तमान धुलाई साबुनों की विशिष्टि (IS : 285-1974) के कहां तक अनुरूप हैं;
ख) मानक किस्म के संरचना इस्पात (IS : 226-1975) और गलन वेल्डिंग गुणता (IS : 2062-1969) की विशिष्टियों में कार्बन, गंधक और फास्फोरस की वर्तमान विशिष्ट की सीमाओं की पर्याप्ता;
ग) मुद्रण के लिए सफेद कागज (IS : 1848-1971) में पदार्थ (ग्रा/मी^{2}) सम्बन्धी छूटों का पुनरीक्षण; और
घ) ब्रेड चढ़ी सूती रस्सी (IS : 2819-1970) के रौखिक घनत्व, टूटन सामर्थ्य और व्यास सम्बन्धी अपेक्षाओं का पुनरीक्षण । □□

गुणता का आश्वासन और प्रमाणन सेवाएँ

इस वर्ष भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना की छत्र छाया में औद्योगिक उत्पादों के विशाल क्षेत्र को लाने के लिए नए नए उत्पादों को चुना गया। इस योजना के अन्तर्गत आने वाले इन उत्पादों में कई उपभोक्ता मद हैं जैसे दूध छुड़ाने के लिए प्रक्रमित अन्न आहार, अधिक उबली चीनी की मिठाइयां, कम तेज साबुन, गद्दों के लिए रबड़ चढ़े नारियल जटा रेशों की शीट, इत्यादि।

इस वर्ष योजना के अन्तर्गत 306 उत्पादों (जिनमें 56 नए हैं) के लिए 950 नए लाइसेंस स्वीकृत किए गए। इसके साथ ही इस योजना के प्रारम्भ से अब तक की स्वीकृत लाइसेंसों की संख्या 8 633 हो गई जब कि पिछले वर्ष के अन्त तक यह संख्या 7 683 थी। उसी प्रकार जिन भारतीय मानकों के अधीन उत्पादों को प्रमाणित किया गया उनकी संख्या 997 हो गई जबकि पिछले वर्ष के अंत में यह संख्या 941 थी। इनमें से 200 मानक ऐसे हैं जो उपभोक्ता मदों से सम्बन्धित हैं जैसे संघनित दूध, आइसक्रीम, शिशुओं का दुग्ध आहार, घुलनशील काफी पाउडर, साधारण नमक, तम्बाकू की बनी वस्तुएं, धुलाई का साबुन, बिजली की इस्तरी, गर्माने की प्लेटें, डुबाऊ हीटर, मिक्सी, रेफरीजेरेटर, लेखन सामग्री, खेल कूद का सामान, इत्यादि। इस प्रकार संस्था गुणता आश्वासन के माध्यम से उपभोक्ता हितों को सुरक्षित रखने के प्रयासों में निरन्तर वृद्धि करती रही ताकि उपभोक्ता को उसकी कीमत के बदले सही माल प्राप्त होता रहे।

1975-76

7 618

अर्जियों पर कार्यवाही की गई

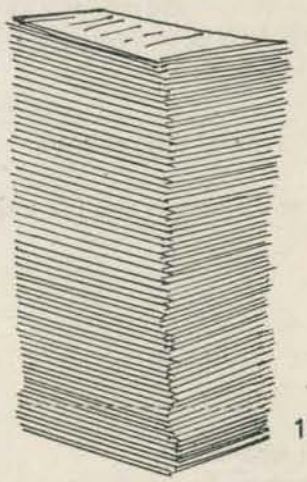

1979-80

13 566

3 227

लागू लाईसेंस

5 417

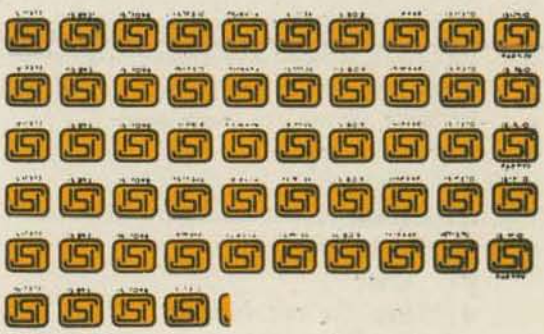

एक इकाई बराबर है 100 लाइसेंसों के

भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना की प्रगति

योजना की प्रगति

लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए प्राप्त अर्जियां — इस वर्ष भा मा संस्था प्रमाणन मुहर लगाने के लाइसेंसों की स्वीकृति के वास्ते आई हुई अर्जियों की स्थिति इस प्रकार थी:

1 अप्रैल 1979 को कार्यवाही के लिए पड़ी रह गई अर्जियां	2 428
वर्ष में प्राप्त नई अर्जियां	1 379
वे अर्जियां जिन पर लाइसेंस स्वीकृत किए गए	950
बंद की गई अर्जियां	567
31 मार्च 1980 को कार्यवाही के लिए पड़ी रह गई अर्जियां	2 290

वर्ष के अन्त में पड़ी रह गई 2 290 अर्जियों में से केवल 232 अर्जियां ही ऐसी थीं जिन पर संस्था को कार्यवाही करनी थी। शेष आवेदकों से कहा गया था कि वे भा मा संस्था लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अपनी वस्तुओं की गुणता नियंत्रण सुविधाओं में वृद्धि करें।

निरस्त और चालू लाइसेंस — इस वर्ष संतोषजनक काम न होने, फैक्टरी बन्द हो जाने, या लाइसेंस चालू रखने में निर्माता की रुचि न होने के कारण 444 लाइसेंस निरस्त हो गए। योजना के आरम्भ से अब तक निरस्त लाइसेंसों की संख्या 3 216 है। इस प्रकार 31 मार्च 1980 को चालू लाइसेंसों की संख्या 5 417 थी, जबकि 31 मार्च 1979 को यह संख्या 4 910 थी, जबकि 31 मार्च 1980 को वस्तुतः चालू लाइसेंसों की संख्या 4 806 थी। उनका उद्योगवार एवं क्षेत्रवार वितरण क्रमशः सारणी 2 और 3 में दिया गया है।

चालू लाइसेंसों का पर्यवेक्षण — लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए किए गए प्रारम्भिक निरीक्षणों की संख्या तथा विभिन्न कार्यालयों द्वारा समय समय पर किए गए निरीक्षणों की संख्या (राशि निरीक्षणों और लदान पूर्व निरीक्षणों की संख्या सहित) सारणी 4 में दी गई है।

प्रमाणन से प्राप्त आय — प्रमाणन फीस के द्वारा प्राप्त राजस्व 200 लाख रुपया हो गया जिसमें 14 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अनुमान है कि 2 000 करोड़ रुपए मूल्य के माल पर आई एस आई प्रमाणन मुहर लगाई गई।

सारणी 2 चालू लाइसेंसों का उद्योगवार विवरण (31 मार्च 1980 को)

क्रम संख्या	उद्योग	लाइसेंसों की संख्या
1.	कृषि एवं खाद्य उत्पाद	
	क) खाद्य उत्पाद और खाद्य रंग	348
	ख) कीटनाशक दवाइयां	975
2.	रसायन	374
3.	सिविल इंजीनियरी और प्लाईवुड	
	क) निर्माण सामग्रियां और अन्य इंजीनियरी मद	383
	ख) प्लाईवुड के तख्ते, पट्टियां और धातुफिटिंग	192
4.	उपभोक्ता उत्पाद और चिकित्सा उपकरण	142
5.	इलेक्ट्रॉनिकी और दूर संचारण सहित विद्युत तकनीकी (केबल और चालक, ज्वाला सह बिजली के उपकरण, बिजली के मोटर आदि)	650
6.	जहाजरानी, भारवहन और पैकेजबंदी (धारक, पैकेजिंग सामग्री इत्यादि)	48
7.	डीजल इंजन, पम्प, एलपीजी सिलिंडर/वाल्व और अन्य यांत्रिक इंजीनियरी मदें	300
8.	पेट्रोलियम, कोयला और सम्बद्ध उत्पाद	174
9.	संरचना और धातु	
	क) धातु उत्पाद	181
	ख) इस्पात	707
10.	वस्त्रादि और सम्बद्ध उत्पाद	
	क) पटसन	203
	ख) वस्त्र और वस्त्र संबंधी यंत्र	147
11.	स्थगित लाइसेंस	611
	योग	5 417

प्रोत्साहन

अनिवार्य प्रमाणन — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) भारत सरकार ने कहा था कि उपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 का नियम 49 निम्नलिखित रूप में संशोधित कर लिया है:

'कोई भी व्यक्ति टिटनियम डाइआक्साइड (खाद्य ग्रेड) बिना भा मा संस्था प्रमाणन मुहर के नहीं बेचेगा।'

भा मा संस्था के लाइसेंसधारियों को वित्तीय प्रोत्साहन — केरल सरकार इस बात पर सहमत हो गई है कि औद्योगिक इकाइयों को निर्यात विकास परिषदों, भा मा संस्था गुणता अंकन डिपो इत्यादि के साथ पंजीकरण की लागत के लिए सहायता अनुदान दिया जाए तथा भा मा संस्था और क्यू अंकन के लिए परीक्षण प्रयोगशालाओं के स्थापन में आवश्यक उपकरणों के लिए भी सहायता अनुदान दिया जाए।

सहायता अनुदान इस प्रकार दिया जाए:

क) पंजीकरण की कुल लागत का 50%, और
ख) उपकरण की कुल कीमत का 50% या 10 000.00 रुपये, जो भी कम हो।

नयी वस्तुएं जिन पर योजना लागू होगी — वर्ष 1979-80 के दौरान प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कुछ नये उत्पादों की सूची नीचे दी जा रही है:

क) **खाद्य एवं कृषि** — दूध छुड़ाने के लिए प्रक्रमित अन्न आहार, अधिक उबली चीनी की मिठाइयां और फ्यूमेरिक अम्ल (खाद्य ग्रेड)।

ख) **कीटनाशक दवाइयां** — पाइरेथ्रम आधारित पायसनीय डिम्भानाशक तेल; कारबेरिल, तकनीकी; डायजीनान जल परिक्षेपी चूर्णसांद्र; और

सारणी 3 चालू लाइसेंसों का उद्योगवार विवरण (31 मार्च 1980 को)

क्रम संख्या	क्षेत्र	शाखा कार्यालय अधीन क्षेत्र	लाइसेंसों की संख्या
1.	पूर्वी	क) कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, असम, अरुणांचल, मेघालय, नागालैंड और अंडमान)	1 139
		ख) पटना (बिहार)	182
2.	उत्तरी	क) दिल्ली (भोपाल, जयपुर, दिल्ली, दक्षिणी हरयाणा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश)	831
		ख) चण्डीगढ़ (पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तरी हरयाणा और चण्डीगढ़)	393
		ग) कानपुर (उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश)	234
3.	दक्षिणी	क) मद्रास (तमिल नाडु, केरल और पांडिचेरी)	555
		ख) बंगलोर (कर्नाटक)	328
		ग) हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	270
		घ) त्रिवेन्द्रम (केरल)	119
4.	पश्चिमी	क) बम्बई (महाराष्ट्र और गोवा)	931
		ख) अहमदाबाद (गुजरात, दमन और दीव)	435
		योग	5 417

मोनोक्रोटोफास जल विलेय सांद्र ।

ग) **सिविल इंजीनियरी, अग्नि शमन और जल सेवाएं** — कंक्रीट शटरिंग कार्य के लिए प्लाईवुड, सुवाह्य अग्निशामक इंजनों और रसायनिक अग्निशामक इंजनों के रिफिल, सोडा अम्ल और झाग वाले; पानी के मीटरों के ढलवां लोहे के बक्से; जल वितरण के लिए फैंसीबिब टोंटियां, पिलर टोंटियां और स्टाप वाल्व, और लकड़ी के बुरादे के पट ।

घ) **साबुन, रसायन और सम्बद्ध सामग्री** — कम तेज साबुन, सोडियम फार्मेल्डीहाइड सल्फाक्जीलेट, कैलशियम क्लोराइड, जस्तासल्फेट, कृषि ग्रेड, ऐल्किल बेंजीन गंधक का अम्ल (अम्ल का मैल) एलुमिनो फेरिक, लेटर प्रेस पुस्तक मुद्रण की काली स्याही, सोडा लाइम (कार्बन डाइआक्साइड शोधक के रूप में), देह में लगाने के पाउडर, धातुओं की द्रव पालिश, सोडियम ब्रोमाइड फोटोग्राफी ग्रेड, और स्पिडल तेल — अतिरिक्त हल्का ग्रेड, द्रवीय तेल, खनिज तेल टाइप, चिपके खनिज रेशे, कांच साफ़ करने के द्रव, और लैटेक्स फोम रबड़ की वस्तुएँ ।

ङ) **उपभोक्ता उत्पाद** — गद्दों के लिए रबड़ीकृत नारियल जटा के रेशों की शीट, ताम्र विद्युत क्षेपित मिश्रित तली वाले स्टेनलेस इस्पात के खाना बनाने के बर्तन, स्टेनलेस इस्पात के खाना परोसने के बर्तन, और स्टेनलेस इस्पात के खाना खाने के बर्तन ।

च) **बिजली का सामान** — 1 100 वोल्ट तक और 3·3 कि वो तथा 33 कि वो तक की कार्यकारी वोल्टता के लिए क्रास लिंक लगे पालीइथाइलीन रोधित पीवीसी खोल चढ़े केबल; स्वचल विद्युत धारा वोल्टता सुधारित्र (स्टेप ताले); इलेक्ट्रोड होल्डर (वेल्डिंग सहायक अंग), वार्निश चिपके कांच के रेशों चढ़े गोल तांबे के चालक, डुबाऊ मोटरों के लिए पीवीसी रोधित वाइंडिंग तार, केबल टाइप 2 पीवीसी रोधन वाले, और जस्ता अम्ल बैटरियों के लिए संश्लिष्ट विलगक ।

छ) **यांत्रिक** — वायु शीतित दो स्ट्रोक, एक सिलिंडर वाले चिनगारी दहन इंजनों, साइकिलों के मडगार्ड, बेंच वाले बॉक, सामान्य कार्यों के लिए चौड़े मुंह वाले बेलचे ।

ज) **इस्पात और धातु उत्पाद** — विद्युत प्रतिरोध वेल्डकृत काली, सादे छोर वाली पाइप लाइन, जहाजरानी कार्यों के लिए वेल्डनीय इस्पात पाइप के फिटिंगें, स्टेनलेस इस्पात की चद्दरें, इस्पात के पाइप फ्लैंज, और कार्बन इस्पात तार छड़ों के उत्पादन के लिए इस्पात के इंगट और बिलेट ।

झ) **वस्त्रादि** — सादे कैलिकों करघों के लिए माल; शक्कर और तेल उद्योग के लिए सूती छन्ना कपड़ा, ड्राफ्टिंग तंत्रों के निचले बेलन, कीटनाशकों की पैकिंग के लिए एच डी पीई बुनी बोरियां, एल सिलाई वाली

सारणी 4 किए गए निरीक्षण

क्रम संख्या	क्षेत्र	शाखा कार्यालय		प्रारंभिक निरीक्षण	सावधिक निरीक्षण	अन्य निरीक्षण*
1.	पूर्वी	क)	कलकत्ता	147	3 876	1 256
		ख)	पटना	38	235	78
2.	उत्तरी	क)	दिल्ली	161	1 357	421
		ख)	भोपाल	7	104	9
		ग)	जयपुर	56	176	57
		घ)	चंडीगढ़	82	1 183	363
		ङ)	कानपुर	54	712	17
3.	दक्षिणी	क)	मद्रास	128	2 273	32
		ख)	बंगलोर	53	839	448
		ग)	हैदराबाद	47	745	46
		घ)	त्रिवेन्द्रम	10	500	83
4.	पश्चिमी	क)	बम्बई	132	2 940	938
		ख)	अहमदाबाद	64	765	251
			योग	979	1 5705	3 999

*इसमें इस्पात, कीटनाशी पदार्थों, टिन एवं एनएमईपी के राशि निरीक्षण और लदानपूर्व निरीक्षण सम्मिलित हैं ।

बोरियां और प्लेडिंग कपड़े।

ट) **चिकित्सा** — दन्त चिकित्सा सम्बन्धी प्रयोगशाला प्लास्टर, कृत्रिम दन्त पत्थर।

भा मा संस्था मुहर लगी वस्तुओं के लिए उपयोगकर्ताओं द्वारा तरजीह:

क) तमिल नाडु ऐग्रो इंजीनियरी एंड सर्विस कोआपरेटिव फेंडरेशन लि., मद्रास ने अपना चैनलाइजेशन योजना के अधीन यह आदेश कर दिया है कि भा मा संस्था मुहर लगे डीजल इंजनों, बिजली के मोटर पम्पों के परीक्षण न किए जाएं।

ख) राजस्थान सरकार के वित्त विभाग (आर एंड ए आई) जयपुर ने यह निर्णय लिया है कि कोई फर्म भा मा संस्था द्वारा प्रमाणित वस्तुएं पूर्ति के लिए देने का प्रस्ताव करती है तो उसकी वस्तुओं पर विचार इसलिए न रोका जाए कि उनका आगे और परीक्षण होना है। बशर्ते कि फर्म द्वारा निवेदित दरें स्पर्द्धात्मक हों और फर्म की इतनी क्षमता हो कि वह मांग पूरी कर सके। उत्पादों का परीक्षण वास्तविक पूर्ति से नमूने लेकर किया जा सकता है और यदि परिणामों से वे मानक से घट कर सिद्ध हो तो उस फर्म के विरुद्ध भा मा संस्था के परामर्श से उपयुक्त कार्यवाही की जा सकती है।

ग) कृषि निदेशक, तमिल नाडु सरकार, मद्रास ने निर्णय किया है कि टेंडर देने वाले केवल उन्हीं उत्पादों की दरें भेजें जिनका परीक्षण और अनुमोदन या तो तमिलनाडु कृषि विभाग द्वारा हो चुका हो या जिन पर भा मा संस्था प्रमाणन मुहर लगी हो।

घ) तमिल नाडु इस्पात अरक्कोणम ने निर्णय किया है कि उनके द्वारा आमन्त्रित टेंडरों के लिए केवल सादी गोला (IS : 226) और शीत मरोड़ी विकृत सरियों (IS : 1786) के लिए भा मा संस्था प्रमाणन लाइसेंस रखने वाले निर्माता ही अपने कोटेशन भेजने के पात्र होंगे। राज्य सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि पुनर्वेलन के लिए ठेके केवल उन्हीं रिरोलिंग मिलों को दिए जाएं जिनके पास भा मा संस्था के लाइसेंस हैं।

ङ) मेडिकल कालेज, कालीकट ने निर्णय किया है कि उनके दंत विभाग का सभी खरीदों में भा मा संस्था मुहर लगे उपकरण और सामग्रियों को तरजीह दी जाएगी।

च) आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत मंडल ने अपने सभी अधीक्षक इंजीनियरों को हिदायतें दी हैं कि वे अपने उपभोक्ताओं को सलाह दें कि वे मंडल द्वारा अनुमोदित या भा मा संस्था प्रमाणन के लिए परीक्षित और अनुमोदित संधारित्रों को लगवाएं ताकि संधारित्र विश्वसनीय और सन्तोषजनक रूप से कार्य कर सकें।

भा मा संस्था प्रयोगशालाएँ

नई दिल्ली की केन्द्रीय प्रयोगशाला के अतिरिक्त संस्था की तीन क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में स्थित हैं। मद्रास की प्रयोगशाला पहले ही अपने नए भवन में हैं। कलकत्ता प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो रहा है और बम्बई कार्यालय एवं प्रयोगशाला के भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। भा मा संस्था की प्रयोगशालाओं का प्रमुख उद्देश्य संस्था की प्रमाणन मुहर योजना की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, लेकिन मानक निर्धारण कार्य में संलग्न तकनीकी समितियों के अनुरोध पर अनुसंधान कार्य भी लिया जाता है। प्रयोगशालाओं का धीरे धीरे उनके क्षेत्र की बढ़ती आवश्यकताओं के अनुरूप विस्तार किया जा रहा है।

इस वर्ष इन प्रयोगशालाओं में रसायन, विद्युत और यांत्रिकी के विभिन्न क्षेत्रों में 21 183 नमूनों की जांच की गई। आर्थिक दृष्टि से लगभग 3 028 903.00 रुपए मूल्य का परीक्षण कार्य सारणी 5 में दिया गया है।

सारणी 5 परीक्षण कार्य की प्रगति

क्रम संख्या	नमूने	परीक्षण की प्रगति	
		1979-80	1978-79
क)	वर्ष के आरम्भ में पड़े हुए (1 अप्रैल को)	2 423	1 808
ख)	प्राप्त	22 726	19 917
ग)	परीक्षित	21 183	18 484
घ)	वर्ष के अन्त में पड़े हुए (31 मार्च को)	2 715	2 423
किए गए कार्य के लिए अनुमानित परीक्षण शुल्क (रु.)		3 028 903.00	2 614 874.00

पटना प्रयोगशाला — समीक्षा गत वर्ष मानकीकरण और गुणता नियंत्रण कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने में राज्य सरकारों द्वारा भा मा संस्था को दिए जाने वाले समर्थन की दिशा में एक महत्वपूर्ण अवस्था का अग्रदूत सिद्ध हुआ है। 6 अगस्त 1979 को बिहार सरकार द्वारा पटना को नवनिर्मित विशाल प्रयोगशाला जिसमें 400 000 रुपए मूल्य के उपकरण लगे हुए हैं, प्रशासन और प्रचालन के लिए भा मा संस्था को सौंपी गई। इस प्रयोगशाला के प्रचालन का खर्च भा मा संस्था वहन करेगी तथा यह गुणता नियंत्रण के क्षेत्र में लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों में प्रक्रमगत गुणता नियंत्रण के लिए आवश्यक विशेष परीक्षण सुविधाएं प्रदान करेगी। यह

प्रयोगशाला राज्य गुणता अंकन योजना के प्रचालन के लिए परीक्षण सुविधाएं जुटाएगी और आवश्यकतानुसार राज्य सरकार के विभागों को उनकी खरीद के नमूनों की जांच में सहायता देगी। पटना प्रयोगशाला के ये कार्य भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत कार्यरत औद्योगिक इकाइयों के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अतिरिक्त होंगे। यह प्रयोगशाला उत्पादन के दौरान गुणता सुधार और गुणता बनाए रखने सम्बन्धी परामर्श देने का कार्य भी करेगी।

चंडीगढ़ प्रयोगशाला — लगभग इसी तरह की सहायता पंजाब सरकार द्वारा मोहाली चँडीगढ़ में भा मा संस्था को उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय और प्रयोगशाला बनाने के लिए दी गई है। उद्योग निदेशालय की ओर से लोकनिर्माण विभाग द्वारा भवन निर्माण का कार्य 1978 में प्रारम्भ किया गया था, यह कार्य लगभग पूरा होने को है और प्रयोगशाला की सज्जा का कार्य अब शीघ्र ही प्रारम्भ किया जाएगा।

अन्वेषण कार्य — समीक्षागत वर्ष में तकनीकी समितियों के अनुरोध पर भा मा संस्था की प्रयोगशालाओं ने 33 समस्याओं के सम्बन्ध में अन्वेषण कार्य किए; जिनमें से कुछ ये हैं :

क) तालों की विशिष्टि (IS : 275-1961) के पुनरीक्षण में मजबूती परीक्षण का संशोधन और तनन परीक्षण तथा धक्का (जार) परीक्षणों का समावेश,

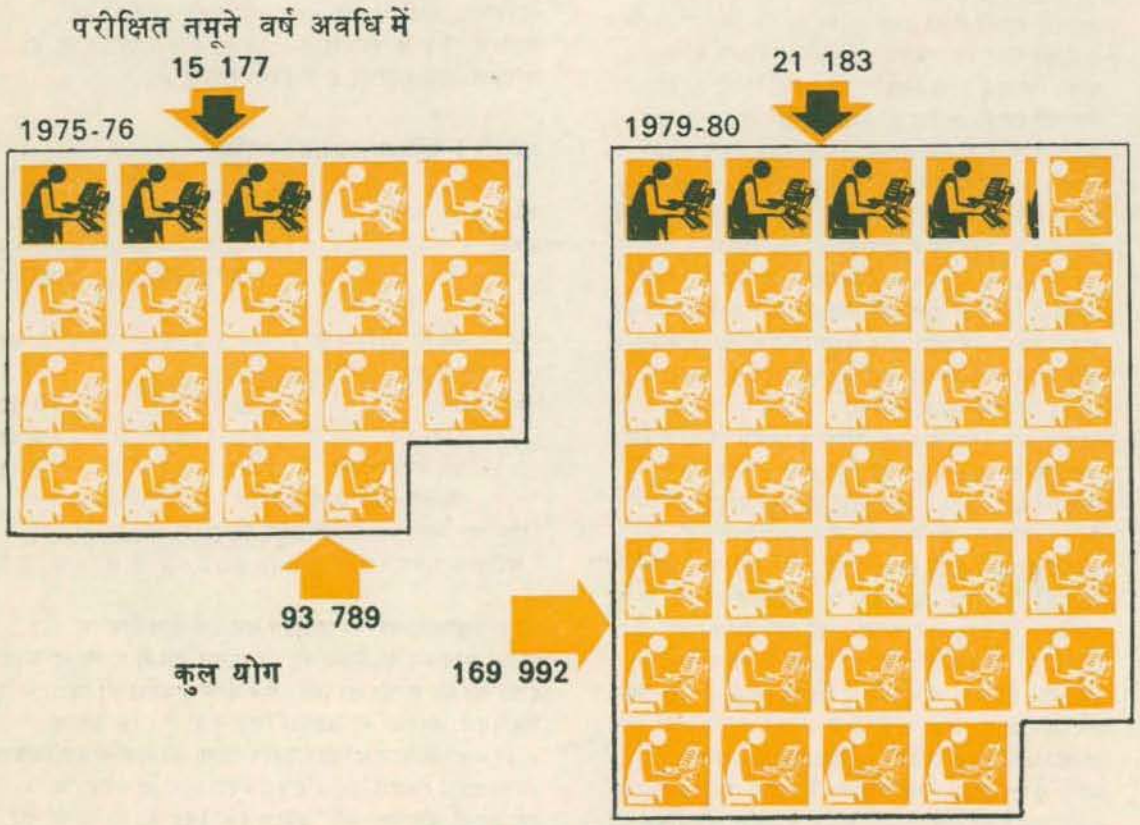

भा मा संस्था प्रयोगशालाओं में परीक्षण की प्रगति

ख) वर्तमान IS : 2487-1972 में दी हील्डो के सिरे के फंदे के मापों में देय छूट सीमाओं का संशोधन,
ग) वर्तमान IS : 7370-1974 में नए प्रकार के रेजरों का समावेश,
घ) बाजार में उपलब्ध अपमार्जक चूर्ण और टिकियों की विभिन्न किस्मों के परीक्षण परिणामों की तुलना,
ङ) विशिष्टि में उसना चावल की भूसी सम्बन्धी अपेक्षा सीमाओं का समावेश, और
च) बीजों के नमूनों की अपेक्षा सीमाओं में संशोधन ।

लगाए गए नए उपकरण

अतिरिक्त परीक्षण सुविधाएं प्रदान करने और यांत्रिक परीक्षण सुविधाओं को पूरा करने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं में जो नए उपकरण लगाये गये वे सारणी 6 में दिए गए हैं। 38 नई मानक विशिष्टियों के लिए परीक्षण कार्य किया गया।

सारणी 6 वर्ष 1979-80 में लिए गए महत्वपूर्ण परीक्षण उपकरणों की सूची

परमाण्वीय अवशोषण स्पेक्ट्रोफोटो मापी
स्क्रैपिंग मशीन
रक्षित हाट प्लेटों के लिए ताप रोधन परीक्षण उपकरण
प्रतिबल शिथिलन यंत्र
शोरिंग ब्रिज
यूनीवर्सल परीक्षण तल वाला द्रवीय डाइनमो मापी
नमक फुहारा चैम्बर
ऋतु मापी
अभिलेखन मल्टी मीटर
वायु जल पम्प
अचल भार वाले कागज की मोटाई परीक्षण संयंत्र
शक्ति मापन सेट
आर्द्रकर और अनार्द्रकर □□

परिवर्धन गतिविधियाँ

भारतीय मानकों का कार्यान्वयन

इस बात के प्रयत्न जारी रहे कि भारतीय मानकों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार विभिन्न राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं उनका पालन किया जाए। समीक्षागत अवधि में विभिन्न संगठनों ने भारतीय मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए:

	संगठन	उत्पादन	निर्देश/निर्णय
क)	राजस्थान सरकार का वित्त विभाग (आर एंड ए आई), जयपुर	सभी स्टोरों की खरीद	जब भी आईएसआई मुहर लगी वस्तुओं के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएं और आईएसआई मुहर लगी वस्तुएं देने का प्रस्ताव किया जाए तो और परीक्षण के लिए प्रस्ताव पर विचार नहीं रोका जाएगा।
ख)	हरयाणा राज्य विद्युत मंडल	रंग रोगन	केवल आईएसआई मुहर लगे रंग रोगन ही खरीदे जाएं।
ग)	आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत मंडल	पावर गुणांक संधारित्र	सभी अधीक्षक इंजीनियरों (प्रचालन) को फील्ड अधिकारियों को हिदायत देनी चाहिए और उपभोक्ताओं को सलाह देनी चाहिए कि वे केवल मंडल द्वारा अनुमोदित और/अथवा आईएसआई प्रमाणन के परीक्षित और अनुमोदित संधारित्र ही लगाएं।
घ)	राजमार्ग एवं ग्रामीण निर्माण विभाग, तमिलनाडु सरकार, सेलम	पुनर्वेल्लित उत्पाद	टेंडर अनुसूची केवल उन्हीं को बेची जाए जिनके पास आईएसआई का वैध पुनर्वेल्लन प्रमाणन पत्र हो।
ङ)	आकाशवाणी, मद्रास	सभी बिजली के और लोहे का सामान	इस बात का उचित ध्यान रखा जाए कि वस्तुओं पर आईएसआई मुहर लगी हो और टेंडर अनुसूची में उपयुक्त खण्ड रखे गए हों।
च)	लोक निर्माण विभाग, मद्रास	रंग रोगन सामग्री	केवल आईएसआई मुहर लगे मार्का के रंग रोगन ही स्वीकार किए जाएंगे।
छ)	तमिलनाडु गंदी बस्ती सफाई मंडल, मद्रास	पीवीसी पाइप	केवल आईएसआई मुहर लगी मानक लम्बाई के पीवीसी अनम्य पाइप खरीदें।
ज)	मद्रास रिफाइनरी लि., मद्रास	स्टोर की सभी वस्तुओं की खरीद में	आईएसआई मुहर लगी सामग्रियों को तरजीह।
झ)	प्रमंडलीय अग्नि अधिकारी, मद्रास शहर, दक्षिण मद्रास मंडल	आग बुझाने के उपस्कर	केवल आईएसआई मुहर लगे उपस्कर की खरीद पर जोर दिया जाए।
ञ)	निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, त्रिवेंद्रम	नेत्र शल्य चिकित्सा उपकरण	जहां तक संभव हो, सम्बद्ध भारतीय मानकों के अनुरूप ही खरीद की जाए।
ट)	उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, तमिलनाडु, मद्रास	इलेक्ट्रानिक उपकरणों के लिए विद्युत यांत्रिक पुर्जे	उद्योगपतियों को सलाह दी गई कि वे सम्बद्ध भारतीय मानकों को लागू करें।
ठ)	लोक निर्माण विभाग, पांडिचेरी सरकार	स्टोर की सभी वस्तुओं की खरीद	आईएसआई मुहर लगी वस्तुओं को तरजीह।

अंतरसंयंत्र और कम्पनी मानकीकरण

इस्पात उद्योग में अंतरसंयंत्र मानकीकरण — समीक्षागत वर्ष में इस योजना की उल्लेखनीय बातें ये हैं:

क) मोटरों, लिमिट स्विचों, पम्पों इत्यादि सम्बन्धी 6 अंतर-संयंत्र मानक प्रकाशित किए गए जिसके फलस्वरूप प्रकाशित मानकों की संख्या 44 हो गई।

ख) इस्पात उद्योग में अंतर संयंत्र मानकीकरण पर तीसरी कार्यशाला दुर्गापुर में 27 अप्रैल 1979 को आयोजित की गई। इसमें दुर्गापुर इस्पात संयंत्र और मिश्र इस्पात संयंत्र के 50 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इन दोनों संयंत्रों के महा अधीक्षकों के मार्गदर्शन में इन दोनों संयंत्रों में अन्तर संयंत्र इस्पात मानकीकरण (आईसीएसएस) की समस्याओं और सम्भावनाओं की समीक्षा की गई।

ग) नई दिल्ली में 30 नवम्बर 1979 को एक खुले अधिवेशन में अंतर संयंत्र इस्पात मानकीकरण सत्रों में अंतर संयंत्र इस्पात मानकीकरण पर विचार-गोष्ठी का आयोजन किया गया। दो तकनीकी सत्रों में अंतर संयंत्र इस्पात मानकीकरण के भविष्य में विकास के विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ और कई सिफारिशें की गईं। इनका बाद में अध्यक्ष, स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. द्वारा अनुमोदन किया गया। कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित के बारे में हैं:

1) अंतर संयंत्र इस्पात मानकीकरण सचिवालय जो अभी भा मा संस्था के पास है, सेल अथवा किसी अन्य ऐसी एजेन्सी द्वारा लिया जाना जो इस्पात उद्योग के विकास के लिए कार्य कर रही हो,
2) उपयोगकर्ता विभागों द्वारा लागू करने के लिए यथार्थवादी मानकों का निर्धारण,
3) जिन इस्पात संयंत्रों में मानक कक्ष नहीं हैं वहां इनकी स्थापना करना, और
4) उपलब्ध अंतर संयंत्र मानकों का कार्यान्वयन और उच्चतर स्तर पर समय समय पर प्रगति की समीक्षा।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सहायक निदेशक (प्रशिक्षार्थी) — समीक्षागत अवधि में प्रशिक्षण कार्यक्रम के आठवें बैच का प्रशिक्षण समाप्त हुआ। इसमें 32 नए भर्ती किए गए अधिकारी थे जिनको मुख्यालय के विभिन्न विभागों, क्षेत्रीय भाषा एवं निरीक्षण कार्यालयों में तैनात किया गया।

विभिन्न विकासशील देशों के तकनीकी कर्मचारियों के लिए भी भारतीय मानक संस्था द्वारा बहुत से प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई।

कम्पनी मानकीकरण पर सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम — कम्पनी मानकीकरण पर सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण के तीन कार्यक्रम इन्दौर, बंगलोर और अहमदाबाद में आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों में 55 संगठनों के 64 इंजीनियरों-व्यवस्थापकों ने भाग लिया।

सांख्यिकी गुणता नियंत्रण — वर्ष के दौरान सांख्यिकी गुणता नियंत्रण के 9 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 81 संगठनों के 156 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दो कार्यक्रम इंस्टीच्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के लिए लखनऊ में, चार साइकिल उद्योग के लिए लुधियाना और चंडीगढ़ में, दो स्लूस वाल्व उद्योग और पटसन उद्योग के लिए कलकत्ता में, और एक कार्यक्रम घरेलू विद्युत उपकरण उद्योग के लिए नई दिल्ली में हुए।

उत्पाद परीक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम — वर्ष के दौरान परीक्षण के विभिन्न क्षेत्रों (पानी के मीटर, धातुओं के भौतिक परीक्षण, चालक और पावर केबल, पैराफिन मोम, घरेलू विद्युत उपकरण, अपकेन्द्री पम्प, डीजल इंजन, विद्युत मोटर, और कीटनाशी दवाइयां) में नौ प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्यालय स्थित परीक्षणशाला में आयोजित किए गए और 116 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

डीजल इंजन परीक्षण में प्रशिक्षण कार्यक्रम — प्रोटोटाइप विकास और प्रशिक्षण केन्द्र की ओर से सितम्बर-अक्तूबर 1979 के दौरान राजकोट में डीजल इंजन पर एक अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें उत्पादन के दौरान वस्तु की निर्माण प्रक्रिया में ही गुणता नियंत्रण लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला गया। दिनांक 26 से 29 फरवरी 1980 के बीच अहमदाबाद में भी एक सर्वेक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विभिन्न संगठनों के सत्रह प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

शैक्षिक कार्यक्रम — इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि इंजीनियरी में भारतीय मानकों की उपयोगिता पर सर्वप्रथम कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। यह कार्यक्रम उदयपुर (राजस्थान विश्वविद्यालय) में हुआ जिसमें 30 विभागीय सदस्यों ने भाग लिया।

कृषि के क्षेत्र में कृषि विश्वविद्यालयों के लिए दो अन्य शैक्षिक कार्यक्रम बंगलौर और कोयम्बतूर में आयोजित किए गए जिसमें क्रमशः 50 और 60 विभागीय सदस्यों ने भाग लिया।

इंजीनियरी के क्षेत्र सम्बन्धी तीन कार्यक्रम औरंगाबाद, लखनऊ और गोआ में विश्वविद्यालयों और तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों के लाभ के लिए आयोजित किए गए।

तकनीकी सूचना सेवा

कम्प्यूटर टर्मिनल — समीक्षागत वर्ष के दौरान नेशनल इनफरमैटिक्स सेंटर (इलेक्ट्रॉनिकी आयोग) की ओर से एक कम्प्यूटर टर्मिनल भारतीय मानक संस्था में लगाया गया। यह टर्मिनल महत्वपूर्ण सरकारी विभागों और सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सूचना प्रबन्ध और उपयोजन के लिए आंकड़ा

बैंक तैयार करने के लिए योजनाबद्ध तंत्र स्थापित करने के एक अंश भाग के रूप में लगाया गया है। भा मा संस्था में जिन क्षेत्रों में सार्थक रूप में कम्प्यूटर का उपयोग हो सकता है उनकी जानकारी दी गई थी और आंकड़े तैयार करने का काम संगठित किया गया।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सर्वप्रथम भारतीय और विदेशी मानकों के लिए 'आंकड़ा बैंक' तैयार किया जा रहा है। इन आंकड़ा बैंकों का उपयोग भारतीय और विदेशी मानकों के सम्बन्ध में वर्गीकृत जानकारी तैयार करने और संदर्भ रूप में उसको प्राप्त करने के लिए किया जाएगा।

कम्प्यूटर कक्ष ने पटसन के बोरों और सीमेंट पर भी सांख्यिकी विश्लेषण किया। मानकों के निर्धारण के लिए जटिल सूत्रों पर आधारित सारणीबद्ध आंकड़े तैयार करने का कार्य भी हाथ में लिया गया।

व्यापार और टैरिफ पर सामान्य समझौते (गैट) का सदस्य होने के नाते भारत ने व्यापार में तकनीकी प्रतिरोधों को हटाने के समझौते की संहिता (आम तौर से गैट मानक संहिता के रूप में प्रसिद्ध) तैयार करने और अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से भाग लिया है। सरकार इस संहिता को जो 1 जनवरी 1980 से लागू हो गई है स्वीकृति देने पर विचार कर रही है।

इस संहिता में एक अनिवार्यता यह है कि प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता देश को **मानकों और तकनीकी विनियमों के सम्बन्ध में एक केन्द्रीय जिज्ञासा कक्ष की स्थापना** करनी चाहिए। भारत सरकार ने यह निर्णय लिया है कि भारतीय मानक संस्था भारत के लिए केन्द्रीय जिज्ञासा कक्ष का कार्य करेगा।

इस प्रकार मानकों, तकनीकी विनियमों और प्रमाणन प्रणालियों संबंधी सूचना के स्रोत रूप में भारतीय मानक संस्था का उत्तरदायित्व अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। कम्प्यूटर कक्ष को केन्द्रीय जिज्ञासा कक्ष के रूप में सूचना सम्बन्धी अतिरिक्त मांग के अनुरूप सज्जित किया जा रहा है।

भारतीय मानक संस्था पुस्तकालय — समीक्षागत अवधि में संस्था के पुस्तकालय में मानक विशिष्टियों सहित 21 380 प्रकाशनों पर काम किया गया। तकनीकी कर्मचारियों और सदस्यों के विशेष अनुरोध पर 45 नयी ग्रंथ सूचियां और 418 प्रलेख सूचियां तैयार की गईं। जेनेवा स्थित केन्द्रीय सचिवालय की आईएसओ सूचना सेवाओं के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखा गया।

पुस्तकालय द्वारा उपयोग कर्ताओं के लाभ के लिए पहले की तरह प्रलेखों और सूचनाओं की सूचियां परिचालित की जाती रहीं।

तकनीकी सूचना सेवा — वर्ष के दौरान लगभग 650 तकनीकी जिज्ञासाओं पर कार्यवाही की गई। यह तकनीकी जिज्ञासाएं देश में औद्योगिक उत्पादन की विभिन्न वस्तुओं, कच्चे माल, मशीन और उपस्कर, गुणता नियंत्रण आदि के संदर्भ में भारतीय एवं सम्बद्ध विदेशी मानकों के सम्बन्ध में थी। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित प्रलेख संकलित एवं परिचालित किए गए:

क) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए भारत सरकार द्वारा आरक्षित 807 मदों की भारतीय मानक विशिष्टियों की सूची;
ख) 1 000 से अधिक आम उपभोक्ता वस्तुओं से सम्बद्ध जानकारी;
ग) परिवार कल्याण के क्षेत्र सम्बन्धी भारतीय मानकों की सूची;
घ) स्वचल वाहन उद्योग सम्बन्धी पुर्जे, समुच्चयित पुर्जे और निर्माण तथा उपयोग के अन्य पहलुओं से सम्बद्ध भारतीय मानकों की सूची;
ङ) कृषि इंजीनियरी के क्षेत्र में ट्रैक्टर और कृषि क्रियाओं सम्बन्धी पुर्जे, फसल कीट नियंत्रण, कृषि उत्पाद, प्रक्रम मशीनें और उपस्कर आदि से संबंधित भारतीय मानकों की सूची; और
च) ढलाई उपस्कर और सहायकांग सम्बन्धी भारतीय मानकों की सूची।

जन सम्पर्क

संस्था के चंदादायी सदस्यों की संख्या 31 मार्च 1980 को 5 891 हो गई। यह संख्या 31 मार्च 1979 को 5 646 थी। इस प्रकार 245 सदस्यों की वृद्धि हुई। वर्ष 1979-80 के दौरान चंदादायी सदस्यों से 42.9 लाख रुपए चंदा प्राप्त हुआ जबकि पिछले वर्ष यह राशि 41.7 लाख रुपए थी।

31 मार्च 1979 और 1980 को चंदादायी सदस्यों की विभिन्न श्रेणियों की स्थिति सारणी 7 में दी गई है।

प्रकाशन — समीक्षागत वर्ष के अन्तर्गत 731 नए और पुनरीक्षित भारतीय मानक छपे और स्टाक खत्म हो जाने के फलस्वरूप 660 भारतीय मानकों को फिर से छापा गया।

संस्था के कार्य और उपलब्धियों के प्रचार के लिए 'आईएसआई बुलेटिन' और 'स्टैण्डर्डस मंथली एड्डीशंस' के प्रकाशन के साथ बहुत से सूचनादायी पैम्फलैट 'भारतीय मानकों की विषय

सारणी 7 चंदादायी सदस्यों का विवरण

सदस्यता का वर्ग	सदस्यों की संख्या 31 मार्च 1979	31 मार्च 1980
संरक्षक	18	17
दाता सदस्य	56	59
प्रतिधारक सदस्य	1 758	1 818
सहयोगी सदस्य	2 047	2 169
साधारण सदस्य	1 480	1 530
वैयक्तिक सदस्य	284	299
	5646	5891

सूचियां', 'आईएसआई बायर्स गाइड', 'आईएसआई प्रकाशनों की हैंडबुक' आदि का प्रकाशन किया गया।

मानकों की बिक्री

भारतीय मानकों की बिक्री से प्राप्त आय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त 20 लाख से अधिक के विदेशी मानक विभिन्न रुचि रखने वाले लोगों को उपलब्ध कराए गए। सम्बद्ध आंकड़े सारणी 8 में दिए गए हैं।

सारणी 8 भारतीय और विदेशी मानकों की बिक्री

	1978-79 रु.	1979-80 रु.	प्रतिशत वृद्धि
भारतीय मानक	3 073 463	3 559 049	16
विदेशी मानक	1 489 745	2 002 078	34
विदेशी मानकों की बिक्री से प्राप्त कमीशन	497 000	667 000	34

समीक्षागत वर्ष के अंतर्गत भारतीय मानकों की बिक्री अमेरिका के कुछ दलों, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईराक, जापान, श्रीलंका, इंग्लैंड और पश्चिम जर्मनी आदि देशों को की गई। यूनाइटेड अरब अमीरात को भारतीय मानकों का एक पूरा सेट बेचा गया।

मानकों के बारे में जागरूकता पैदा करना — देश में मानकों के प्रति और अधिक जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से संस्था ने विभिन्न संचार साधन जैसे प्रेस, टेलीविजन, रेडियो, फिल्म और प्रदर्शनियों आदि के माध्यम से अपने प्रयत्न जारी रखे। जिन प्रदर्शनियों में भारतीय मानक संस्था ने भाग लिया उनमें इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 1979 और राष्ट्रीय उद्योग मेला 1980 हैं। मानकीकरण और गुणता नियंत्रण से सम्बन्धित वृत्त चित्र देश के सभी सिनेमा घरों में दिखाये गए। संस्था के मुख्यालय और शाखा तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में विश्व मानक दिवस और भा मा संस्था शिलान्यास दिवस पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस वर्ष आईएसओ/टीसी 34 खाद्य उत्पादों की सामूहिक बैठकें भा मा संस्था द्वारा किए गए आयोजनों में सर्वप्रमुख हैं। इन बैठकों के कार्यवृत का व्यापक प्रचार रेडियो और टेलीविजन के माध्यम से किया गया।

अठारहवां भारतीय मानक सम्मेलन — संस्था के अठारहवें भारतीय मानक सम्मेलन का आयोजन पटना में दिनांक 10 से 16 फरवरी 1980 के बीच किया गया। सम्मेलन का उद्घाटन बिहार के राज्यपाल डा. ए. आर. किदवई ने किया, और उद्घाटन समारोह केन्द्रीय वाणिज्य और नागरिक पूर्ति मंत्री तथा भा मा संस्था के अध्यक्ष श्री प्रणब कुमार मुखर्जी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं, राजकीय और निजी क्षेत्रों के औद्योगिक संगठनों, सरकारी विभागों और संगठित उपभोक्ताओं के 518 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन के दौरान एक सामान्य और 6 तकनीकी सत्र हुए जो संवैधानिक विनिमय, ऊर्जा प्रबन्ध के क्षेत्र के बड़े उपस्कर, उत्तम किस्म के उत्पादन में लघु और बड़े उद्योगों की पूरक भूमिका, कृषि उत्पादों का भंडारण और संरक्षण, धातु संबंधी उद्योगों के लिए खनिज और अयस्क, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र एवं उपस्कर आदि के विविध क्षेत्रों में मानकीकरण और गुणता नियंत्रण से संबंधित थे।

के. एल. मुदगिल पुरस्कार — इस वर्ष 1978 के लिए के. एल. मुदगिल पुरस्कार कर्नल आर. डी. अय्यर और श्री जे. जी. केसवानी को मानकीकरण के क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रदान किया गया।

भा मा संस्था फेलोशिप — भा मा संस्था की फेलोशिप में 39 इंजीनियर और शिल्प विज्ञानियों को मानकीकरण के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए सम्मिलित किया गया। इसमें भा मा संस्था के पैनलों, उपसमितियों एवं विषय समितियों के सदस्य, अध्यक्ष और संयोजक, तथा भा मा संस्था के एक सेवानिवृत उपमहानिदेशक सम्मिलित हैं। इनमें से 20 फेलोशिप वर्ष 1978 और 1979 के लिए प्रदान की गई।

भा मा संस्था में हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भा मा संस्था के कार्यों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत हिन्दी टंकण और आशुलिपि में प्रशिक्षण दिया गया। बहुत से प्रलेखों को द्विभाषी रूप में जारी किया गया जिनमें केन्द्रीय मार्क्स विभाग राजपत्र अधिसूचनाएं (145), लाइसेंस (609), प्रेस विज्ञप्तियां (53), भारतीय मानक मसौदे और संशोधनों के परिचालन पत्र (711), सामान्य आदेश (148), पत्र विज्ञापन, सूचनाएं आदि (179) भी सम्मिलित हैं।

भा मा संस्था के सभी नामपट्ट अब द्विभाषी कर दिए गए हैं। विभिन्न प्रोफार्मों में से 12 को भी द्विभाषी कर दिया गया है और अब इन द्विभाषी प्रोफार्माओं की संख्या 47 हो गई है। भा मा संस्था की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तीन बैठकें हुईं जिनमें किए गए कार्य की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण पहलुओं पर मार्ग निर्देशन किया गया। यह समिति संस्था में राजभाषा अधिनियम के विनियमों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

दिनांक 10 से 16 फरवरी 1980 के बीच पटना में हुए अठारहवें भारतीय मानक सम्मेलन में भाषण, झंडे, प्रकाशनार्थ विज्ञप्तियाँ, आदि सब हिन्दी में जारी की गईं।

परिणामस्वरूप सम्मेलन की कार्यवाही का हिन्दी में व्यापक रूप से प्रचार हुआ।

वर्ष 1979 के अगस्त-सितम्बर माह में संस्था के कर्मचारियों के लिए हिन्दी में टिप्पणी और मसौदा लेखन से संबंधित एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में 30 व्याख्यान दिए गए।

वर्ष के दौरान मानकीकरण को बढ़ावा देने और उससे संबंधित जानकारी और उसके लाभों को हिन्दी भाषी जनसमूह तक पहुंचाने के लिए संस्था ने 'मानकदूत' नामक हिन्दी त्रैमासिक पत्रिका 1980 से प्रकाशित करने का निर्णय ले लिया है।

वर्ष के दौरान कृषि उपकरण (पहिएदार ट्रैक्टर और शक्ति चालित थ्रेशर) और पशु आहार के क्षेत्र में निम्नलिखित भारतीय मानकों का हिन्दी अनुवाद किया गया:

क) IS : 920-1972 पशुओं के लिए साधारण नमक और चाटने के ढेले की विशिष्टि (पह. पुन);

ख) IS : 6840-1972 पहिएदार कृषि ट्रैक्टर के एहतियाती रखरखाव की रीति संहिता; और

ग) IS : 9019-1979 शक्ति चालित गहाई मशीन के लगाने, चलाने और रखरखाव की रीति संहिता।

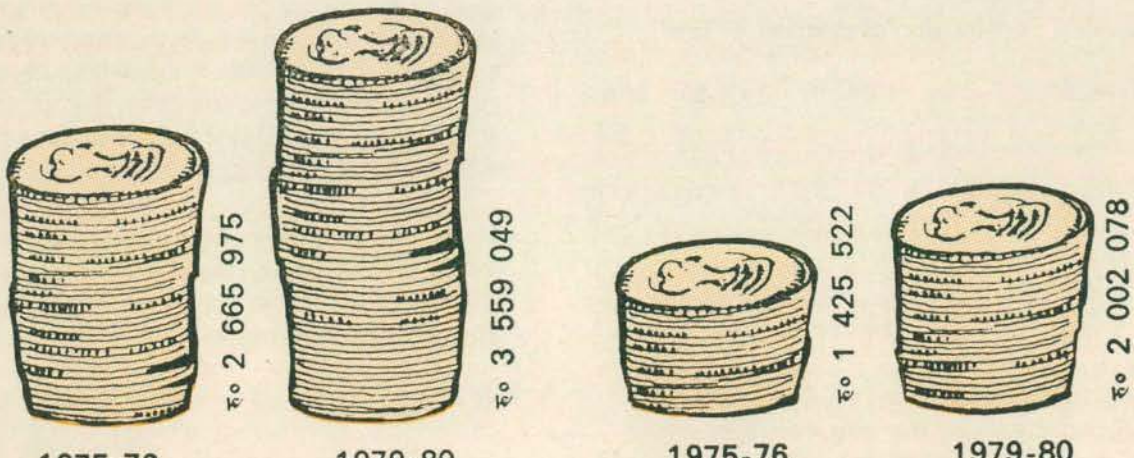

भारतीय तथा विदेशी मानकों की बिक्री

क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालय

संस्था की बढ़ती हुई सेवाओं की मांग को पूरा करने के लिए चार क्षेत्रीय कार्यालय, 10 शाखा कार्यालय और विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों में 13 निरीक्षण कार्यालय देश की राजधानियों और मुख्य औद्योगिक केन्द्रों में खोले गए हैं।

वर्ष के दौरान मानकीकरण और गुणता नियंत्रण को बढ़ावा देने और प्रचार के लिए संगठित प्रयास जारी रखे गए, और विभिन्न औद्योगिक इकाइयों और सरकारी संगठनों के साथ मिलकर विभिन्न प्रदर्शनियां, अध्ययन गोष्ठियां, वार्ता सम्मेलन, आदि आयोजित किए गए। प्रमाणन योजना को क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों द्वारा विकेन्द्रीकरण आधार पर लागू किया गया।

पूर्वी क्षेत्र

भा मा संस्था के लाइसेंसधारियों की कार्यकारिता की समीक्षा और भा मा संस्था प्रमाणन योजना को प्रभावशाली ढंग से लागू करने की विधि को क्रमबद्ध करने के उद्देश्य से सुरक्षा बूट और जूते, समतल दरवाजे और स्लूस वाल्व पर अनेक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं।

पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय एवं परीक्षणशाला का नया भवन जिसका निर्माण चल रहा था संभवतः दिसम्बर 1980 तक तैयार हो जाएगा। 31 मार्च 1980 तक भवन उपसमिति ने 374 000 रुपए की राशि चंदे के रूप में जमा कर ली थी। इसमें 275 000 रुपए का सेवा प्रभार सम्मिलित नहीं किया गया है। इसकी छूट पश्चिमी बंगाल राज्य सरकार ने दी थी। यहां की परीक्षणशाला में धूलनचूर्ण के गामा आइसोमर के परीक्षण के लिए एक ध्रुवणलेखी (पोलेरोग्राफ) लगाया गया है।

भुवनेश्वर — भुवनेश्वर शाखा कार्यालय के अन्तर्गत भारतीय मानकों की बिक्री और सदस्यता में पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत वृद्धि हुई।

पटना — पटना सलाहकार समिति की पहली बैठक बिहार के तत्कालिक औद्योगिक विकास आयुक्त श्री के. पी. सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय यह था कि सभी कीटनाशी निर्माण इकाइयों को भा मा संस्था प्रमाणन योजना के अन्तर्गत लाया जाए। भारतीय मानकों को ठीक ढंग से लागू करने के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया।

राज्य की राजधानी पटना दिनांक 10 से 16 फरवरी 1980 तक होने वाले अठारहवें भारतीय मानक सम्मेलन का स्थान पहली बार रहा।

पश्चिमी क्षेत्र

भा मा संस्था के उपाध्यक्ष श्री हरीश महिन्द्रा ने 18 जनवरी 1980 को पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय भवन प्रायोजना के लिए भूमि पूजा की। वर्ष के दौरान भवन निधि में कुल 631 000 रुपए की राशि जमा की गई। भा मा संस्था प्रमाणन मुहर योजना के अन्तर्गत पांच नए उत्पादों के लिए लाइसेंस स्वीकृत किए गए।

क) ड्राफ्टिंग तंत्र के लिए निचले रोलर (IS : 2510),
ख) डायजिनोन जलपरिक्षेपी चूर्ण (IS : 2862),
ग) दन्त प्रयोगशाला प्लास्ट (IS : 6555),
घ) दांतों के लिए कृत्रिम पत्थर (IS : 8019), और
ङ) कांच साफ करने का द्रव (IS : 8540)।

अहमदाबाद — भा मा संस्था की अहमदाबाद (शाखा कार्यालय) सलाहकार समिति की तीसरी बैठक दिनांक 13 जून 1979 को हुई। इस बैठक में उद्योग आयुक्त ने गुजरात सरकार द्वारा इंजीनियरी महाविद्यालयों में परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने के प्रस्ताव को प्रकट किया। इन परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा घरेलू विद्युत उपकरण आदेश के अन्तर्गत आने वाले उत्पाद तत्संबंधी भारतीय मानकों के अनुरूप हो सकेंगे।

राजकोट में डीजल इंजनों के परीक्षण में अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अतिरिक्त, अहमदाबाद में दिनांक 26 से 29 फरवरी 1980 के दौरान सर्वेक्षण और कम्पनी मानकीकरण पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न संगठनों के 17 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

उत्तरी क्षेत्र

उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना — समीक्षागत अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ की स्थापना की गई। कुछ समय के लिए यह संस्था के मुख्यालय में ही काम करता आ रहा है। उत्तरी क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना संस्था की सेवाओं की मांग में वृद्धि की पूर्ति के लिए और उत्तरी क्षेत्र में शाखा/निरीक्षण कार्यालयों की गतिविधियों के संवर्द्धन और उनका समन्वय करने के उद्देश्य से की गई।

भोपाल — भोपाल शाखा कार्यालय के लिए भूमि प्राप्त करने के प्रश्न पर मध्यप्रदेश सरकार से बातचीत की गई और अभी उनके उत्तर की प्रतीक्षा है। कम्पनी मानकीकरण पर एक सर्वेक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम दिनांक 23-26 जून 1979 को इन्दौर में पहली बार आयोजित किया गया।

चंडीगढ़ — चंडीगढ़ शाखा कार्यालय द्वारा पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और काश्मीर आदि राज्यों के औद्योगिक विभागों के साथ लगातार रूप से घनिष्ठ का संपर्क बनाए रखा गया। चिकित्सा तापमापियों जैसी वस्तु के लिए पहली बार लाइसेंस स्वीकृत करके इस क्षेत्र में श्रीगणेश किया गया। लाइसेंसों की पहली बार स्वीकृति लाइन वोल्टता सुधारित्र, साइकिलों में पुर्जों, धातु की पालिश, बैटरी सेपेरेटर और स्टेनलेस इस्पात की चद्दरों के लिए भी पहले पहल लाइसेंस स्वीकृत किए गए। जम्मू और काश्मीर सरकार ने औद्योगिक इकाइयों और सरकारी क्रेता एजेंसियों द्वारा भारतीय मानक लागू करने संबंधी विशेष प्रश्नावली के उत्तर में आंकड़े एकत्र किए थे। चंडीगढ़ शाखा कार्यालय में उनको एकत्र किया जा रहा है।

जयपुर — जयपुर शाखा कार्यालय द्वारा अलवर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा, पिलानी और उदयपुर के जिला औद्योगिक संघों के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। कृषि इंजीनियरी पर भारतीय मानकों के शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रम उदयपुर विश्वविद्यालय में आयोजित किये गये। सदस्यता के क्षेत्र में शाखा कार्यालय में पिछले वर्ष की अपेक्षा 77 प्रतिशत वृद्धि हुई जबकि भारतीय मानकों की बिक्री के क्षेत्र में इस वर्ष के लिए प्रस्तावित लक्ष्य में 146 प्रतिशत सफलता मिली।

राजस्थान के तकनीकी शिक्षा निदेशक ने अपने निदेशालय के सभी पोलीटेकनीकों को भा मा संस्था का चंदादायी सदस्य बनने की सहमति प्रकट की।

कानपुर — इस वर्ष कानपुर शाखा कार्यालय में प्रमाणन मुहर अंकन योजना से पिछले वर्ष की अपेक्षा 50 प्रतिशत आय में वृद्धि हुई। शाखा कार्यालय ने कानपुर में 'अन्तर्राष्ट्रीय बाल वर्ष' प्रदर्शनी में भाग लिया। कार्यालय ने साइकिल और पैर से चलने वाली मशीनों पर हुई राष्ट्रीय अध्ययन गोष्ठी में भी भाग लिया। कार्यालय, डीजल इंजन खरीदने के लिए उधार देने वाली और निर्यात के लिए तैयार चमड़े के परीक्षण सम्बन्धी राज्य सरकार की विभिन्न समितियों और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की अनुसंधान एवं विकास परिषद, आदि के साथ सक्रिय रूप से सम्बद्ध रहा।

दक्षिणी क्षेत्र

भारतीय मानकों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु सरकार ने राज्य स्तर पर मानकीकरण समिति का गठन किया और उद्योग निदेशक को उसका अध्यक्ष बनाया। क्षेत्रीय कार्यालय ने कृषि और खाद्य उत्पादों के भारतीय मानकों का शैक्षिक उपयोगिता कार्यक्रम आयोजित किया और अन्य प्रकार की बैठकें और सम्मेलन आयोजित करने के साथ नदी घाटी परियोजनाओं पर उपलब्ध भारतीय मानकों के महत्व पर एक अध्ययन गोष्ठी का भी आयोजन किया।

तमिलनाडु में बिछाने की चद्दरों के लिए, आन्ध्र प्रदेश में पाटिकल (दानेदार) बोर्ड के लिए और कर्नाटक राज्य में सात अन्य वस्तुओं के लिए पहले पहल लाइसेंस स्वीकृत किए गए।

बंगलोर — कर्नाटक में 'भा मा संस्था का एक दशक' समारोह मनाने का जनता और औद्योगिक क्षेत्र पर काफी गहरा प्रभाव पड़ा। शाखा कार्यालय ने 'स्टेण्डर्डस न्यूज' नामक एक सूचना पत्र भी भा मा संस्था के सदस्यों, लाइसेंसधारियों और संस्था के बीच बेहतर सम्पर्क स्थापित करने के उद्देश्य से निकालना प्रारम्भ किया। कर्नाटक सरकार ने घरेलू विद्युत उपकरण नियंत्रण आदेश 1976, कीटनाशक पदार्थ और उनकी पैकेजबन्दी, राइज़ोबियम का उत्पादन और बिक्री, आदि के सम्बन्ध में भारतीय मानकों को लागू करने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए।

हैदराबाद — हैदराबाद शाखा कार्यालय की नवीं सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 12 जून 1979 को हुई। उसकी अध्यक्षता आन्ध्र प्रदेश के लघु उद्योग विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक और उपाध्यक्ष श्री के. एस. आर. मूर्ति ने की। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक समिति ने एन बी सी की सिफारिशों को ध्यान में रखकर हैदराबाद नगर निगम के भवन विनियमों की समीक्षा की। संशोधित उपविधियों पर विचार विमर्श किया जा रहा है।

त्रिवेन्द्रम — त्रिवेन्द्रम शाखा कार्यालय की सलाहकार समिति एलुमिनियम उद्योग लिमिटेड, कुन्डरा के प्रबन्ध निदेशक श्री एस. पीर मुहम्मद की अध्यक्षता में गठित हुई और उसकी पहली बैठक दिनांक 28 मार्च 1980 को हुई। केरल सरकार विभिन्न उद्योगों को उनकी वस्तुओं पर भा मा संस्था प्रमाणन मुहर लगाने की सुविधा आरम्भ करने के लिए 50 प्रतिशत अथवा 10 000.00 रुपए तक की राशि और अन्य 10 000.00 रुपए की राशि परीक्षणशाला सुविधा को जारी करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में देती रही।

□□

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

संस्था पिछले वर्षों की तरह इस वर्ष भी मानकीकरण के कार्य में अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ) और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई ई सी) की विभिन्न समितियों और सम्मेलनों में विभिन्न तकनीकी प्रलेखों पर अपनी सम्मतियों और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से सक्रिय रूप में भाग लेती रही। प्रतिनिधि मंडल प्रायः उन्हीं विषयों के लिए भेजे जा सके जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और तकनीकी आर्थिक समस्याओं के कारण भारत की रुचि थी।

इस सम्बन्ध में आई एस ओ महासभा परिषद आयोजना समिति (प्लैको) और विकास समिति (डेवको) की बैठकें विशेष उल्लेखनीय हैं। ये बैठकें 13 से 21 सितम्बर 1979 के दौरान जेनेवा में हुई थीं। इन बैठकों में भा मा संस्था के उपाध्यक्ष श्री डी. सी. कोठारी के नेतृत्व में तीन सदस्यों के भारतीय मंडल ने भाग लिया था। अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग की 44वीं वार्षिक महासभा और अन्तर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी की (आई ई सी) गुणता प्रणाली की प्रमाणन प्रबन्ध समिति (सी एम सी) की बैठक सिडनी में दिनांक 21 मई से 6 जून 1979 के दौरान हुई, जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी विभाग, नई दिल्ली के मेजर जनरल के. के. मेहता के नेतृत्व में चार सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल सम्मिलित हुआ।

'परीक्षण प्रयोगशाला प्रत्यायन की राष्ट्रीय प्रणाली की मान्यता' पर तीसरा अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन सिडनी में दिनांक 19 से 29 अक्तूबर 1979 को हुआ और जिसमें नई दिल्ली राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (एन पी एल) के निदेशक डा. ए. आर. वर्मा के नेतृत्व में 2 सदस्यों के प्रतिनिधि मंडल ने भाग लिया।

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आई एस ओ)

आई एस ओ महापरिषद — आई एस ओ की ग्यारहवीं त्रैवार्षिक परिषद जेनेवा में दिनांक 17 से 21 सितम्बर 1979 के दौरान हुई जिसमें आई एस ओ परिषद के लिए वर्ष 1980-82 के लिए 6 सदस्यों का चुनाव हुआ जिसमें भा मा संस्था (भारत) भी सम्मिलित है। श्री हेनरी ड्यूरेंड एफनौर (फ्रांस) के उपाध्यक्ष को वर्ष 1980-82 के लिए अध्यक्ष चुना गया। भारत के हस्तक्षेप के फलस्वरूप आई एस ओ विकास कार्यक्रम, प्रमाणन विधि और आई एस ओ परिषद के चुनाव से सम्बन्धित प्रस्ताव पारित किए गए। आई एस ओ तकनीकी कार्य के आयोजन और समन्वय की आवश्यकता और 'विश्व भर में एस आई इकाइयों के पालन' की स्थिति पर विशेष सत्र आयोजित किए गए। भा मा संस्था के महानिदेशक डा. ए. के. गुप्ता ने आई एस ओ तकनीकी कार्य पर वार्ता दी और संस्था के उपमहानिदेशक श्री एस. श्रीनिवासन ने भारत में एस आई इकाइयों के पालन की सीमा पर निबन्ध प्रस्तुत किया। डा. ए. के. गुप्ता ने आई एस ओ द्वारा दिनांक 24 से 26 सितम्बर 1979 के दौरान मानकीकरण में शिक्षा पर आयोजित कार्यशाला के सत्र की अध्यक्षता की।

आई एस ओ परिषद — आई एस ओ परिषद की दिनांक 13-15 सितम्बर 1979 के दौरान हुई तेंतीसवीं बैठक में मुख्यतः नीतियों और संगठनात्मक और वित्तीय मामलों, उपभोक्ता कार्यक्रम, विकासशील देशों को सहायता और अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मानक निकायों के साथ सहयोग पर विचार विमर्श हुआ। परिषद ने डा. ए. के. गुप्ता (भारत) को दिसम्बर 1981 तक की अवधि के लिए प्लैको का सदस्य मनोनीत किया।

आयोजना समिति (प्लैको) — प्लैको की बैठक में तकनीकी समितियों के मौजूदा ढांचे, तकनीकी सलाहकार समूह (टैग) की स्थापना की संभावना के लिए वर्तमान समन्वय और पर्यवेक्षण समूहों और आई एस ओ निकायों में तकनीकी सचिवालयों के व्यापक वितरण के लिए साधनों की समीक्षा की गई। इसमें महानिदेशक ने सदस्य के रूप में भाग लिया।

विकास समिति (डेवको) — डेवको की बैठक दिनांक 11-12 सितम्बर 1979 को हुई जिसमें विकासशील देशों के लिए महत्वपूर्ण आई एस ओ तकनीकी समितियों, कृषि मानक और विकासशील देशों में आई एस ओ मानकों के पालन की सीमा, कृषि आदि पर चर्चा की गई। इस बैठक में फ्रांस, सोवियत रूस, भारत, कीनिया, जमैका और नाइजीरिया के एक तदर्थ कार्य समूह ने 'अग्रताओं और आई एस ओ कार्यक्रम को लागू करने के उद्देश्य से लक्ष्य तिथियों सहित दीर्घकालीन कार्यान्वयन योजना' का मसौदा तैयार किया। इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने सक्रियता से भाग लिया।

आई एस ओ क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी बैठक — आई एस ओ क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारियों की दूसरी बैठक जेनेवा में दिनांक 10 सितम्बर 1979 को हुई जिसमें संस्था के महानिदेशक ने भाग लिया। इस बैठक में संस्था ने वित्त, कार्मिकों की आपसी अदला बदली, प्रायोजना प्रस्ताव तैयार करने सम्बन्धी मार्गदर्शन, गुणता नियंत्रण, प्रमाणन, और परीक्षण प्रत्यायन और कम्पनी मानकीकरण सहित मानकीकरण के विभिन्न पहलुओं पर मैनुअल के सम्बन्ध में विकासशील देशों की आवश्यकताओं को उजागर किया। इस बैठक में संस्था के महानिदेशक ने क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी के रूप में भाग लिया।

क्षेत्रीय मानकीकरण — एशिया और प्रशान्त (इस्कैप) क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक आयोग के अधीन आने वाले देशों में मानकीकरण गतिविधियों को फिर सक्रिय करने के उद्देश्य से इस्कैप ने बैंकाक में दिनांक 7-9 नवम्बर 1979 के दौरान मानक संस्था प्रमुखों की एक बैठक बुलाई। भा मा संस्था के महानिदेशक ने बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और वे उपाध्यक्ष चुने गए। बैठक में क्षेत्र के सभी देशों में मानकीकरण गतिविधियों को सक्रिय करने की सिफारिश की गई जिसमें इस्कैप सचिवालय, समन्वय के लिए केन्द्र बिन्दु का कार्य करेगा।

भारत में आई एस ओ की तकनीकी समितियों की बैठकें — आई एस ओ/टी सी 8 पोतनिर्माण की अधीनस्थ तकनीकी समितियों की दो बैठकों का आयोजन दिनांक 22 से 25 अक्तूबर 1979 के दौरान नई दिल्ली में हुआ। जिसमें विदेश के 10 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आई एस ओ/टी सी 34 कृषि खाद्य उत्पाद की समूह बैठकें दिनांक 10 से 15 मार्च 1980 के दौरान नई दिल्ली में हुईं। इन बैठकों में 17 देशों के 60 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भा मा संस्था के महानिदेशक ने दिनांक 4 से 10 दिसम्बर 1979 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आई ए ई ए) के महासम्मेलन के 23वें सत्र में आई एस ओ का प्रतिनिधित्व किया। उसी प्रकार 21 जनवरी से 8 फरवरी 1980 के दौरान यूनीडो के तृतीय महासम्मेलन में भी आई एस ओ का प्रतिनिधित्व किया। सम्मेलन में उनके निबन्ध में विकासशील देशों के राष्ट्रीय मानक निकायों को सहायता सम्बन्धी आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था।

अंतर्राष्ट्रीय विद्युत तकनीकी आयोग (आई ई सी)

भारत ने आई ई सी की कई तकनीकी समितियों, उपसमितियों और कार्य समूहों में भाग लिया। भारत के पास आई ई सी/टी सी 43 घरेलू और सम्बद्ध कार्यों के लिए विद्युत पंखों का सचिवालय भी है।

आई ई सी की 44वीं वार्षिक सामान्य बैठक सिडनी (आस्ट्रेलिया) में 21 मई से 2 जून 1979 की अवधि में हुई जिसमें 43 सदस्य राष्ट्रीय समितियों का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 650 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

तकनीकी समितियों और उपसमितियों की बैठकों में 'छः माह नियम' के अधीन आई ई सी की राष्ट्रीय समिति में अनुमोदन के लिए परिचालित करने के लिए लगभग 100 प्रलेख तैयार किए गए। परिषद में की गई कार्यवाही में खजांची के पद का चुनाव, 1980 के लिए कार्य समिति के चुनाव की विधि, 1980 के लिए बजट प्रस्ताव और वर्ष 1980 और 1981 में होने वाली सामान्य बैठकों के स्थान क्रमशः स्टाकहोम (स्वीडन) और मोंट्रो (स्विटजरलैंड) के निर्णय सम्मिलित हैं। परिषद ने गुणता आश्वासन और वस्तुओं के प्रमाणन के क्षेत्र में आई ई सी की व्यापक नीति के विकास और कार्यान्वयन की दृष्टि से उसके संगठनात्मक और प्रशासनिक व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए एक कार्यकारी समूह का गठन किया। परिषद ने आदमी और जायदाद की सुरक्षा के लिए पहचान चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली तथा समुन्नत इलेक्ट्रॉनिक नौचालन उपकरणों के लिए दो नई समितियों के गठन का अनुमोदन किया। लेकिन आई ई सी के प्रकाशकों के मूल्य घटाने के प्रस्ताव पर वित्त समिति की अगली बैठक में विचार किया जाएगा।

कार्यसमिति ने अपनी बैठक में आई ई सी द्वारा विश्वव्यापी प्लग और साकेट प्रणालियों पर एक आई ई सी प्रकाशन की तैयारी सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा की और इस बात पर सहमति प्रकट की कि आई एस ओ द्वारा तांबा और तांबा मिश्रधातु पर भी कार्य किया जाना चाहिए और आई ई सी समिति के द्वारा उसका उचित समन्वय होना चाहिए। समिति ने यह भी निर्णय किया कि आई ई सी के अधिकारियों को आई ई सी सुरक्षा प्रमाणन सम्बन्धी कार्य हाथ में लेते समय कानूनी पक्ष सम्बन्धी जटिलताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन — सम्मेलन में प्रयोगशाला प्रत्यायन प्रणाली पर विचार विमर्श हुआ जिसमें प्रमुख राष्ट्रों को परीक्षणशालाओं के चयन और उनकी मान्यता सम्बन्धी राष्ट्रीय प्रणाली स्थापित करने में सहायता मिले।

भारत-सोवियत सहयोग

मानकीकरण और माप विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी भारत-रूसी कार्यदल की सातवीं बैठक के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल के अग्रणी भा मा संस्था के महानिदेशक डा. ए. के. गुप्ता थे। यह बैठक दिनांक 7 से 14 जनवरी 1980 के दौरान मास्को में हुई थी। अग्रणी थे प्रो. वी. वी. बोएत्सोव रूसी मंत्री परिषद की राजकीय मानक समिति के अध्यक्ष। बैठक में वर्ष के दौरान हुई प्रगति की समीक्षा की गई और इस क्षेत्र में आपसी व्यापार में वृद्धि और सहयोग के लिए 'चमड़ा और चमड़े के उत्पाद' जैसे नये विषय पर विचार विमर्श किया गया।

एफनौर (फ्रांस) के श्री एतीन नोए 25 से 27 मार्च 1980 की अवधि में भा मा संस्था पधारे। उनका उद्देश्य था भारत और फ्रांस के बीच किए जा रहे वाणिज्य करारों में संदर्भ के लिए सुरक्षा और उपभोक्ता बचाव सम्बन्धी भारतीय मानकों पर जानकारी एकत्र करना।

भारत के 20 प्रतिनिधि मंडलों ने, जिसमें से 7 सरकारी और 31 गैर सरकारी प्रतिनिधि (भा मा संस्था के 15 प्रतिनिधियों को सम्मिलित करके) थे, आई एस ओ महापरिषद, प्लैंको, डेवको, आई ई सी की विदेश में हुई बैठकों में भाग लिया। आई एस ओ, आई ई सी और मानकीकरण और माप विज्ञान पर भारत-रूसी बैठकों के लिए विभिन्न प्रतिनिधियों पर भा मा संस्था का जो खर्च आया वह सारणी 9 में दिया गया है।

विकासशील देशों को सहायता

भा मा संस्था ने भारत में तथा अन्य देशों में उनके अनुरोध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने और उसके माध्यम से अपने अनुभव तथा ज्ञान के आदान प्रदान का क्रम जारी रखा। ये कार्यक्रम वर्षों से होते आ रहे हैं और पाठ्यक्रम तथा शिक्षार्थियों के अच्छे स्तर के कारण इन कार्यक्रमों का अपना स्थान हो गया है। इस सम्बन्ध में एक नया सुखद विकास था यूनीडो के औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार श्री जी. एम. स्टाकर का आगमन। श्री स्टाकर विकासशील देशों के लिए मानकीकरण पर अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करने में यूनीडो द्वारा सहायता के विषय में भा मा संस्था के साथ विचार विमर्श करने आए थे।

मानकीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम — विकासशील देशों के लिए मानकीकरण पर बारहवां अन्तर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 नवम्बर से 8 फरवरी 1980 की अवधि में किया गया। इसमें अफगानिस्तान, इथोपिया, घाना, इंडोनेशिया, लाइबीरिया, मलेशिया, नैपाल, साउदी अरब, श्रीलंका, सूडान और तंजानिया के 15 प्रशिक्षार्थियों ने भाग लिया। इन प्रशिक्षार्थियों ने 10 से 16 फरवरी 1980 के दौरान पटना में आयोजित अठारहवें भारतीय मानक सम्मेलन में भी भाग लिया।

यह कार्यक्रम 1954 से आरम्भ किया गया था और तब से अब तक एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के 35 देशों के 127 तकनीकी कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

विकासशील देशों में प्रशिक्षण कार्यक्रम — कीनिया मानक ब्यूरो नैरोबी की ओर से 4 से 15 जून 1979 की अवधि में मानकीकरण और गुणता नियंत्रण पर एक राष्ट्रमंडल क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया था। श्री एस. आर. कुप्पना, निदेशक (कार्यान्वयन) विभागीय सदस्य के रूप में इस बैठक में सम्मिलित हुए थे।

विकासशील देशों के (कैरिबियन) के लिए मानकीकरण पर एक कार्यक्रम ट्रिनीडाड और टैबागो मानक ब्यूरो, भा मा संस्था, टैबागो और ट्रिनीडाड सरकार के केन्द्रीय प्रशिक्षण एकक की ओर से संयुक्त रूप से 20 अगस्त से 28 सितम्बर 1979 की अवधि में पोर्ट ऑफ स्पेन में आयोजित किया गया। भा मा संस्था के अपर महानिदेशक श्री वाई. एस. वेंकटेश्वरन ने विभागीय सदस्य के रूप में भाग लिया।

विदेशों में कार्य पर नियुक्तियां — यूनीडो के अधीन और विदेशी सरकारों के अनुरोध पर निम्नलिखित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई अथवा उनके विदेशी दौरे का समय बढ़ा दिया गया:

क्रम संख्या	नाम	पद	देश
1)	श्री ए. एस. चीमा	उपमहानिदेशक	बार्बेडॉस (यूनीडो के अधीन)
2)	श्री राम. डी. तनेजा	उपमहानिदेशक	ईराक (यूनीडो के अधीन)
3)	श्री आर. के. सेतिया	निदेशक (लेखा)	नाइजीरिया
4)	श्री टी. राजारमण	निदेशक	तंजानिया
5)	श्री वाई. आर. तनेजा	उपनिदेशक	ईराक

विशेष कार्यक्रम — कीनिया, नैपाल, मॉरिशस, पुर्तगाल, ट्रिनीडाड और टैबागो, तंजानिया, आदि देशों के विशेष अनुरोध पर उनके तकनीकी कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। नौ अधिकारियों को भा मा संस्था की विभिन्न गतिविधियों जैसे माप विज्ञान, जनसम्पर्क, भवन सामग्री का परीक्षण और तकनीकी संपादन आदि के सम्बन्ध में जानकारी दिलाई गई।

सारणी 9 विदेश में भेजे गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल और भा मा संस्था प्रतिनिधियों पर किया गया खर्च

क्रम संख्या	समिति का नाम	देश	प्रतिनिधियों की संख्या		किया गया खर्च	
			सरकारी	गैर-सरकारी	रुपयों में	विदेशी मुद्रा में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	आईएसओ/टीसी वस्त्र मशीनादि समिति और सहायकांग एवं उसकी चार उपसमितियां	इटली (वेनिस)	—	2	10 118.00	4 158.00
2.	आईएसओ/टीसी 149 साइकिल और उसकी उपसमितियां 1 और 2	बेल्जियम (ब्रूसेल्स)	—	4	12 481.00	3 564.00
3.	44वीं आईईसी वार्षिक सामान्य सभा	आस्ट्रेलिया (सिडनी)	1	3	13 916.00	10 474.00
4.	तकनीकी समिति आईएसओ/टीसी 113 और उसकी उपसमितियाँ	कनाडा (ओटावा)	2	2	14 991.00	8 216.00
5.	आईएसओ/टीसी 111 इस्पात की गोल लिंक चेन, चेनपहिए, उत्थापक हुक और सहायकांग की उपसमितियां 2, 3 और 4	प. जर्मनी (गार्मिश पार्टेनकिरशेन)	—	1	—	—
6.	आईएसओ/टीसी 147 जल गुणता और उसकी उपसमितियां	यू.के. (लन्दन)	—	1	12 049.00	4 684.00
7.	आईएसओ/टीसी 29 छोटे औजार	फ्रांस (पेरिस)	—	1	—	—
8.	आईएसओ/टीसी 7 इस्पात और उसकी उपसमितियां	यू.के. (बर्नेमाउथ)	—	1	12 050.00	2 899.00
9.	आईएसओ/टीसी 172 प्रकाशिकी और प्रकाशीय उपकरण	प. जर्मनी (फोर्ट्सह्यूम)	1	—	—	—
10.	आईएसओ/टीसी 34 कृषि एवं खाद्य उत्पाद के तकनीकी सचिवों की प्रशिक्षण अध्ययन गोष्ठी	हंगरी (बुडापेस्ट)	—	1	11 084.00	2 899.00
11.	आईईसी/एससी 32वीं निम्न वोल्टता फ्यूज	प. जर्मनी (बाडेन बाडेन)	—	1	—	—
12.	आईएसओ/टीसी 28/एससी 4/डब्ल्यूजी 4 टरबाइन के लिए स्नेहक और आग प्रतिरोधी तरल	यू.के. (लन्दन)	—	1	—	—

(जारी)

सारणी 9 विदेश में भेजे गए भारतीय प्रतिनिधि मंडल और भा मा संस्था प्रतिनिधियों पर किया गया खर्च—जारी

क्रम संख्या	समिति का नाम	देश	प्रतिनिधियों की संख्या		किया गया खर्च	
			सरकारी	गैर-सरकारी	रुपयों में	विदेशी मुद्रा में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13.	आईएसओ महासभा, परिषद्, प्लैंको डैवको, आईएसओ क्षेत्रीय सम्पर्क अधिकारी बैठक, मानकीकरण पर आईएसओ कार्यशाला, विश्व में एसआई इकाइयों का पालन, और आईएसओ कार्य में तकनीकी समन्वय की आवश्यकता के विशेष सत्र	स्विटजरलैंड (जेनेवा)	—	3	13 687.00	18 438.00
14.	आईएसओ/टीसी 45 रबड़ और रबड़ उत्पाद एवं उसके कार्य समूह, भारत के पास डब्ल्यूजी 4 रबड़ के भौतिक लक्षणों की परीक्षण पद्धतियों का सचिवालय है।	कनाडा (ओटावा)	—	3	15 498.00	7 042.00
15.	परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रत्यायन की राष्ट्रीय प्रणाली की मान्यता पर तीसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन	आस्ट्रेलिया (सिडनी)	1	1	16 232.00	1 813.00
16.	इस्कैप क्षेत्र के देशों की विभिन्न मानक संस्थाओं के प्रमुख	थाइदेश (बैंकाक)	—	1	3 942.00	3 036.00
17.	आईएसओ/टीसी 84 टीका लगाने के के लिए सुइयां और चिकित्सा उपयोग के लिए सिरिंज	यू.के. (लन्दन)	—	1	—	—
18.	आईएसओ की आयोजना समिति की बैठक	स्विटजरलैंड (जेनेवा)	—	1	13 110.00	5 144.00
19.	आईएसओ/टीसी 2/एससी 1 बंधकों के यांत्रिक लक्षण और आईएसओ/टीसी 2 बंधक	आस्ट्रेलिया (सिडनी)	1	1	—	—
20.	मानकीकरण और माप विज्ञान के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग की भारत-रूसी कार्यकारी समूह की सातवीं बैठक	रूस (गास्को)	1	2	21 208.00	1 620.00
			7	31*		

*इसमें भा मा संस्था के 15 प्रतिनिधि सम्मिलित हैं।

□□

योजनागत प्रायोजनाएं

इस वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रयोगशाला भवन, गाजियाबाद, कार्यालय एवं प्रयोगशाला भवन, बम्बई, और भा मा संस्था प्रयोगशालाओं के लिए परीक्षण उपस्कर जुटाने आदि से संबंधित कार्य किए गए। वर्ष 1979-80 की अवधि में सरकार द्वारा इन प्रायोजनाओं के लिए 55 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई।

इनके अतिरिक्त संस्था ने छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के अधीन सात और प्रायोजनाओं का प्रस्ताव किया है। इन सभी 10 प्रायोजनाओं पर कुल लागत 86.15 लाख रुपए अनुमान की गई है।

कार्यान्वित की जा रही प्रायोजनाओं की प्रगति संक्षेप में निम्नलिखित है:

केन्द्रीय प्रयोगशाला भवन, गाजियाबाद — गाजियाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला भवन का निर्माण कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा दो चरणों में किया जा रहा है। पहले चरण में रासायनिक एवं यांत्रिकी प्रयोगशालाएं और कार्यशाला सम्मिलित हैं जिनका फर्श क्षेत्रफल 5 600 वर्ग मीटर है। रसायन प्रयोगशाला (चार मंजिल) और यांत्रिकी प्रयोगशाला (तीन मंजिल) का निर्माण पूरा हो चुका है जबकि कार्यशाला का निर्माण अभी जारी है।

दूसरा चरण जिसमें विद्युत प्रयोगशाला और प्रशासनिक खंड (फर्श क्षेत्रफल 3 200 वर्ग मीटर) सम्मिलित है, के निर्माण के लिए परिधीय सेवाओं को प्राप्त करने का कार्य सरकार के अनुमोदन के लिए रुका पड़ा है।

कलकत्ता का प्रयोगशाला भवन — सार्वजनिक निर्माण विभाग पश्चिमी बंगाल के द्वारा निर्मित कलकत्ता प्रयोगशाला (छः मंजिल) का भव्य भवन जिसका फर्श क्षेत्रफल 2 000 वर्ग मीटर है, में बिजली, स्वच्छता प्रबन्ध और नल, आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। आशा की जाती है कि यह भवन दिसम्बर 1980 तक तैयार हो जाएगा।

बम्बई का प्रयोगशाला भवन — इस चार मंजिल भवन का निर्माण कार्य जनवरी 1980 में आरम्भ हुआ था और मार्च 1981 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है। 4 000 वर्ग मीटर के फर्श क्षेत्रफल के इस भवन में दो खंड होंगे — जिनमें से एक प्रयोगशाला के लिए और दूसरा शेष कार्यों के लिए होगा।

प्रयोगशाला उपस्कर — इस प्रायोजना के अधीन परीक्षण सुविधाओं को जुटाने और मानकीकरण के संबंधी अन्वेषण कार्य के लिए प्रयोगशाला उपस्कर प्राप्त किए जाते हैं। इस वर्ष के दौरान प्रयोगशाला में दो लाख रुपए के मूल्य के उपस्कर और जुटाए गए।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी प्रायोजनाएँ — विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी की राष्ट्रीय समिति (एन सी एस टी) राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के अनुपालन से प्राप्त होने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए संस्था को निम्नलिखित दो प्रायोजनाएँ सौंपी हैं:

भवनों और सिविल इंजीनियरी निर्माण कार्यों की संहिता के कार्यान्वयन सम्बन्धी विकास कार्यक्रम (प्रायोजना ख-7)

पांचवीं योजना के दौरान आरम्भ की गई इस प्रायोजना में, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता और अन्य सम्बद्ध संहिताओं से सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की हैंडबुकों को तैयार करने; और कार्यान्वयन सम्मेलनों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों आदि के माध्यम से राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रसार कार्य शामिल है। इस प्रायोजना के अन्तर्गत किये गये अन्य महत्वपूर्ण कार्य देश के विभिन्न नगर निगमों और नगर पालिकाओं की भवन निर्माण उपविधियों में परिवर्तन करके उन्हें राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के अनुरूप बनाना है।

हैंडबुक तैयार करने के लिए पैंतीस विषयों को चुना गया है। इनमें से निम्नलिखित तीन हैंडबुक तैयार हो चुकी हैं और मुद्रणाधीन हैं:

क) IS : 456-1978 के अनुसार प्रबलित कंक्रीट के लिए डिजाइन में सहायता सामग्री,
ख) भवन सामग्रियों का सार, और
ग) चिनाई संहिता सम्बन्धी व्याख्या सहित हैंडबुक।

इस सम्बन्ध में 11 और हैंडबुक तैयार की जा रही हैं। प्रसार कार्य के इस क्षेत्र में, कार्यान्वयन सम्मेलन आन्ध्र प्रदेश और सिक्किम को छोड़कर देश के सभी राज्यों में आयोजित किये गये। दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और बंगलोर जैसे अनेक नगर निगमों तथा कुछ अन्य नगर पालिकाओं की निर्माण उपविधियों को राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता के अनुरूप किया गया और उन्हें अनुपालन के लिए सम्बद्ध ऐजेन्सियों को भेजा गया। तमिलनाडु और केरल राज्यों के सार्वजनिक निर्माण विभागों की विशिष्टियों को राष्ट्रीय

भवन निर्माण संहिता और अन्य सम्बद्ध भारतीय मानक संहिताओं के अनुरूप किया गया।

औद्योगिक भवनों के लिए टाइप निर्धारण (प्रायोजना ख-8)

यह प्रायोजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना के अंग रूप में औद्योगिक भवनों की प्रणालियों सहित पूर्व निर्माण के लिए पांचवीं योजना की अवधि में ही प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य अभीष्ट मानक संरचना डिजाइनों का निर्धारण करना है जिसके परिणामस्वरूप सीमेंट और इस्पात जैसी दुर्लभ सामग्री की खपत में कमी हो सकेगी। न्यूनतम लागत का ध्यान रखते हुए इन अभीष्ट डिजाइनों का निर्धारण किया जाएगा।

विभिन्न प्रकार के औद्योगिक भवनों और मानक डिजाइन निर्धारित किए जाने वाले भवनों के बारे में आंकड़े एकत्रित किए गए। इस प्रकार के भवनों के सम्बन्ध में माप निर्धारित किए गए हैं। यह कार्य मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस कार्य के परिणामस्वरूप बहुत से प्रकाशन निकाले जाएंगे जिसमें इस्पात संरचनाओं और क्रेन रहित व क्रेन सहित पूर्व निर्मित संरचनाओं के टाइप कृत डिजाइन होंगे। □□

भारतीय मानक ब्यूरो पुस्तकालय
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
3484 / Misc
2002-11-15
NEW DELHI

कार्मिक प्रबन्ध

संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या 1 700 के करीब है, जिसमें पिछले वर्ष की अपेक्षा 68 प्रतिशत वृद्धि हुई है। संस्था में तकनीकी पक्ष को सुदृढ़ करने की कोशिश की जा रही है। तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों के बीच का अनुपात जो 1:2.25 था, वह इस वर्ष कुछ मात्रा में कम करके 1:2.20 कर दिया गया है। इस वर्ष इस सम्बन्ध में और प्रगति की आशा है।

संस्था के विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों का मुख्य गतिविधियों में अर्थात् मानक निर्धारण, प्रमाणन, तकनीकी प्रोत्साहन और प्रशासनिक कार्यों में योगदान निम्नलिखित हैं:

कार्य	कर्मचारियों की संख्या (31 मार्च 1980 को)
क) मानक :	
मानकों की रचना, प्रकाशन, बिक्री और वितरण	493
ख) गुणता आश्वासन और प्रमाणन सेवाएँ:	
प्रमाणन मुहर योजना का संचालन और प्रबन्ध तथा प्रयोगशाला परीक्षण	637
ग) तकनीकी प्रोत्साहन:	
तकनीकी सूचना सेवा, कार्यान्वयन, सांख्यिकी गुणता नियंत्रण, पुस्तकालय, आई एस आई बुलेटिन और विविध प्रकाशन, प्रचार, सदस्यता और कम्प्यूटर कक्ष	95
घ) कार्मिक प्रबन्ध और सहायक सेवा:	
कार्मिक प्रबन्ध, लेखा, सामान्य सेवाएँ, भवन रखरखाव और सुरक्षा	465
कुल	1 690

प्रमाणन कार्य में 12 प्रतिशत कर्मचारियों की वृद्धि हुई जिसे मुख्य रूप से अगुवाई और पर्यवेक्षी कार्य को प्रभावी बनाने, पटना में नई प्रयोगशाला स्थापित करने और बाजार व संगठित खरीदारों के भंडारों से प्राप्त भा मा संस्था प्रमाणित वस्तुओं की दोहरी जांच हेतु अधिकाधिक संख्या में नमूने इकट्ठा करने के उद्देश्य से किया गया।

कर्मचारियों की मानक सम्बन्धी गतिविधियों में वृद्धि केवल कुछ ही मात्रा में हुई है परन्तु इसके अनुपात में मानकों का निर्धारण बहुत अधिक मात्रा में किया गया। वर्ष के दौरान कम्प्यूटर टर्मिनल के संचालन के और संस्था के कार्य में विभिन्न क्षेत्रों को सशक्त करने से संस्था की तकनीकी प्रोत्साहन गतिविधियों पर सुदृढ़ प्रभाव पड़ा है।

यद्यपि प्रशासन में कर्मचारियों की संख्या आम तौर पर स्थिर रही फिर भी संस्था ने विभिन्न प्रकार के कार्य अधिकाधिक मात्रा में किए।

तकनीकी अधिकारियों के लिए काम की अदला बदली (जॉब रोटेशन) सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए गए और इनको लागू किया गया। प्रशासनिक गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण के लिए प्रयत्न किए गए। परिशिष्ट 'ख' में 31 मार्च 1980 को संस्था के प्रमुख अधिकारियों की सूची दी गई है।

भा मा संस्था की सेवाओं में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व

31 मार्च 1980 को भा मा संस्था की सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व इस प्रकार था:

श्रेणी	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति की संख्या	
	1980	1979
I	8	7
II	9	4
III	46	20
IV (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	53	50
IV (सफाई कर्मचारी)	34	33
	150	114

इससे यह मालूम होगा कि संस्था की सेवाओं की विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व की वृद्धि में काफी प्रगति हुई है। श्रेणी II और III में कर्मचारियों का यह प्रतिनिधित्व दुगुने से अधिक हुआ है और इस प्रगति को श्रेणी I के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व में भी

बनाए रखा गया है जहां इन कर्मचारियों की भर्ती बहुत ही कम संख्या में हुई है।

विदेश में प्रशिक्षण — श्री जे. वेंकटरामन्, उपनिदेशक को फरवरी 1980 के उत्पादन उद्योगों की मानकीकरण प्रणालियों के आयोजन के क्षेत्र में इंजीनियरों के संयंत्र गत समूह प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सोवियत रूस में प्रतिनियुक्ति पर भेजा गया था।

नियोक्ता कर्मचारी सम्बन्ध — रिपोर्टगत वर्ष में नियोक्ता-कर्मचारी सम्बन्ध सद्भावपूर्ण रहे। प्रबन्धकों और भा मा संस्था कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के बीच परस्पर रुचि के मामलों पर विचार विमर्श के लिए कई बैठकें हुईं। भा मा संस्था कर्मचारी यूनियन के परामर्श से निम्नलिखित कर्मचारियों को केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा आयोजित श्रमिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए भेजा गया:

क) श्री चन्दर मोहन, सहायक
ख) श्री नरिन्दर कुमार, सहायक
ग) श्री योगेश कुमार, आशुलिपिक
घ) श्री बी. के. राजवंशी, उच्च श्रेणी लिपिक
ङ) श्री लियो ओसवॉल्ड, उच्च श्रेणी लिपिक
च) श्री युद्धवीर गखर, उच्च श्रेणी लिपिक

□□

वित्त

संस्था अपनी आय सरकारी अनुदानों, सदस्यों के चंदे, मानकों की बिक्री और प्रमाणन मुहर अंकन से प्राप्त करती है।

वित्तीय आवश्यकताओं के सम्बन्ध में आत्मनिर्भर होने के लिए संस्था के निरन्तर प्रयास के परिणामस्वरूप आय व्यय के लिए सरकारी अनुदान की राशि जो वर्ष 1978-79 के दौरान में 21.3 प्रतिशत थी वह अब वर्ष 1979-80 में घटकर 20.0 प्रतिशत (75.0 लाख रुपए) रह गई है।

वित्तीय विश्लेषण

आय — वर्ष 1979-80 के दौरान व्यय गत वर्ष के 3.282 करोड़ रुपए से बढ़कर 3.672 करोड़ रुपए हो गया। इस प्रकार इसमें 11.9 प्रतिशत वृद्धि हुई। संस्था की उसके विभिन्न स्रोतों अर्थात् सदस्यता चंदे, मानकों की बिक्री, विज्ञापनों और प्रमाणन मुहर अंकन से प्राप्त आय गत वर्ष के 2.583 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 1979-80 के दौरान

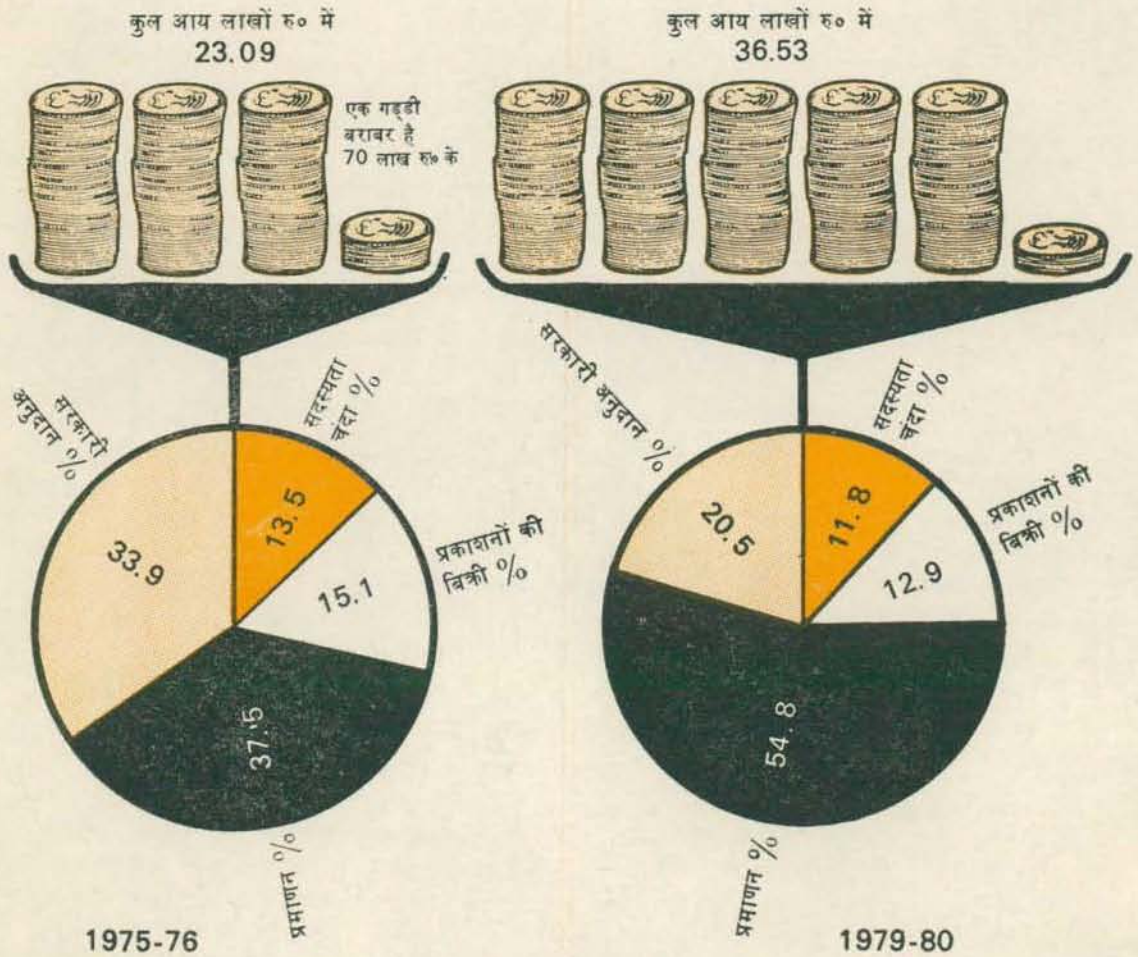

वर्षों की अवधि में आय

2.903 करोड़ रुपए हो गई। यह 12.4 प्रतिशत वृद्धि का संकेत करती है जो निम्नलिखित है:

	1978-79	1979-80	वृद्धि प्रतिशत
	रु. (लाखों में)		
सदस्यता चंदा	40.0	43.1	5.6
मानकों की बिक्री और विज्ञापन आय	42.0	47.2	12.4
प्रमाणन मुहर अंकन योजना	175.5	200.0	14.0
	258.3	290.3	12.4

पूंजी — भा मा संस्था द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रायोजनाओं के लिए सरकारी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है:

	प्रायोजनाएं		प्रावधान
			रु. (लाखों में)
1.	गाजियाबाद में केन्द्रीय प्रयोगशाला भवन	..	67.0
2.	प्रयोगशाला उपस्कर	..	300.0
3.	बम्बई में प्रयोगशाला भवन	..	42.0
4.	निम्नलिखित स्थानों में प्रयोगशाला भवन:		
	क) अहमदाबाद ख) बंगलोर ग) हैदराबाद घ) कानपुर	..	120.0
5.	मानकों के कार्यान्वयन के प्रोत्साहन के लिए हैंडबुकों की वृद्धि	..	25.0
6.	निर्यात प्रोत्साहन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय मानकीकरण	..	25.0
7.	गेट मानक संहिता के अधीन केन्द्रीय जांच कक्ष	..	55.0
8.	रिप्रोग्राफीय उपस्कर	..	10.0
9.	कर्मचारी आवास योजना	..	100.0
10.	एस एण्ड टी प्रायोजनाएं	..	117.5
		कुल	861.5

वर्ष 1979-80 के दौरान सरकार ने पहली तीन प्रायोजनाओं के लिए 55 लाख रुपए की राशि प्रदान की थी जिन पर अभी कार्य हो रहा है।

वर्ष के दौरान मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों की प्रयोगशालाओं के लिए 20 लाख रुपए मूल्य के प्रयोगशाला उपकरण खरीदे गए थे।

वर्ष 1979-80 की अवधि में संस्था को भा मा संस्था कर्मचारियों के लिए गृह निर्माण योजना के अधीन 7 लाख रुपए का ऋण प्राप्त हुआ। यह योजना वर्ष 1976-77 में शुरू की गई थी। अब तक 64 कर्मचारियों ने इस योजना का लाभ उठाया है।

इसके अतिरिक्त सरकार ने संस्था को बम्बई में मध्यम आय समूह और उच्च आय समूह के फ्लैटों की खरीद के लिए 3 लाख रुपए का अल्पकालीन ऋण भी दिया है। जिसकी वापसी संस्था को अपनी आय से दो किश्तों में करनी होगी। ये फ्लैट विशेष रूप में आवधिक नियुक्ति/स्थानान्तरण पर आए अधिकारियों को आवास सुविधा प्रदान करने में सहायक होंगे।

अप्रत्यक्ष योगदान — समीक्षागत वर्ष के दौरान संस्था को कुछ अप्रत्यक्ष योगदान प्राप्त हुए। भा मा संस्था समितियों के सदस्यों ने देश और विदेश में यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का खर्च वहन किया। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्र की कुछ संस्थाओं ने निशुल्क परीक्षण कार्य किया और नमूने उपलब्ध कराए। वर्ष के दौरान इस प्रकार के अप्रत्यक्ष योगदान की कुल लागत अनुमानतः 31.4 लाख रुपए थी।

वर्ष 1979-80 के लेखों का परीक्षित विवरण परिशिष्ट 'क' में दिया गया है। □□

परिशिष्ट क

31 मार्च 1980 को समाप्त

व्यय

गतवर्ष रु०	क्रमांक	खर्च की मद	रु०
	1.	**वेतन**	
5 709 805		1.1 अधिकारी	5 909 105
5 704 561		1.2 कर्मचारी	6 117 667
	2.	**भत्ते**	
3 155 202		2.1 अधिकारी	3 546 580
4 409 116		2.2 कर्मचारी	5 198 113
463 404	3.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा और अन्य चिकित्सा व्यय	488 680
356 392	4.	भविष्य निधि अंशदान	474 639
1 179 986	5.	पेंशन निधि	1 195 991
30 000	6.	ग्रेच्युइटी	30 000
96 621	7.	कर्मचारी कल्याण	112 552
	8.	**यात्रा भत्ता**	
190 058		8.1 विदेश	240 849
867 438		8.2 अधिकारी और कर्मचारी	938 796
13 329		8.3 समिति सदस्य	37 380
448 281		8.4 अवकाश यात्रा व्यय में रियायत	211 703
	9.	**अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के चंदे**	
1 039 604		9.1 आई एस ओ	941 704
523 020		9.2 आई ई सी	473 766
	10.	**उत्पादन**	
850 836		10.1 मानक	1 271 198
474 460		10.2 बुलेटिन	525 230
120 401		10.3 परिकलन साधन और बाइंडर	142 413
146 738		10.4 अन्य प्रकाशन	108 038
2 574	11.	अनुसंधान और परामर्श	50 472
604 915	12.	परीक्षण शुल्क	900 768
594 440	13.	प्रयोगशाला के उपकरण और स्टोर का सामान	682 691
	14.	**प्रचार**	
133 110		14.1 प्रदर्शनियाँ	177 317
175 487		14.2 विज्ञापन	236 539
42 000		14.3 छोटी फिल्में	—
103 190		14.4 विविध	48 491
27 434 968		नीत शेष	30 060 682

वर्ष का आय-व्यय लेखा

आय

गतवर्ष रु०	क्रमांक	आय की मद	रु०	रु०
4 075 357	1.	सदस्यता का चंदा		
		क) अग्रिम	2 666 087	
		ख) चालू	1 640 180	4 306 267
	2.	**बिक्री**		
2 952 414		2.1 भारतीय मानक		3 373 363
121 050		2.2 परिकलन साधन एवं वाइंडर		185 588
516 215		2.3 विदेशी प्रकाशन (कमीशन)		572 754
229 213	3.	**बुलेटिन विज्ञापन**		125 713
17 550 285	4.	*प्रमाणन		20 005 340
25 607	5.	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा अंशदान		25 917
—	6.	सम्मेलन (प्रतिनिधियों का शुल्क)		15 667
62 938	7.	प्रशिक्षण शुल्क		100 836
293 337	8.	विविध		268 267
—	9.	गृह निर्माण ऋण से ब्याज		45 867
	10.	**सरकारी अनुदान**		
		10.1 वर्ष 1978-79 के अप्रयुक्त अनुदान से स्थानांतरित	631 034	
7 500 000		10.2 वर्ष 1979-80 में प्राप्त	6 869 000	7 500 034

(*इस मद के अंतर्गत आय जितनी बनती है उस आधार पर न लेकर नकदी के आधार पर ली गई है। इसमें वर्ष के दौरान बनने वाली राशि में 692 638 रुपए की वसूली योग्य रकम शामिल नहीं है।)

33 326 416	नीत शेष	36 525 613

(जारी)

व्यय

गतवर्ष रु०	क्रमांक	खर्च की मद	रु०	रु०
27 434 968			आनीत शेष	30 060 682
41 041	15.	सम्मेलन		147 321
73 739	16.	प्रशिक्षण कार्यक्रम		91 420
40 239	17.	इलेक्ट्रॉनिक आँकड़े तैयार करने में		13 371
	18.	**पुस्तकालय**		
		18.1 पुस्तकें		
		क) वर्ष में किया गया व्यय	193 473	
		ख) नामे : पूंजीकृत पुस्तकों का मूल्य	193 473	—
97 368		18.2 अन्य व्यय		120 417
	19.	**कार्यालय का खर्च**		
829 546		19.1 स्टेशनरी		897 740
404 948		19.2 डाक व्यय		411 394
529 247		19.3 टेलीफोन और टेलेक्स		587 286
70 417		19.4 भरती		110 076
58 879		19.5 जलपान और मनोरंजन		64 988
66 281		19.6 वर्दियाँ		86 971
138 231		19.7 सवारी और ढुलाई		168 110
67 773		19.8 बीमा और बैंक प्रभार		78 834
153 804		19.9 विविध		197 459
	20.	**फर्नीचर और उपकरण**		
		20.1 फर्नीचर		
		क) वर्ष का खर्च	140 261	
—		ख) नामे : पूंजीकृत परिसम्पत्ति का मूल्य	140 261	—
		20.2 उपकरण		
		क) वर्ष का खर्च	445 692	
—		ख) नामे : पूंजीकृत परिसम्पत्ति का मूल्य	445 692	—
81 940		20.3 मरम्मत और रखरखाव		111 403
	21.	**भवन**		
656 420		21.1 किराया और कर		736 209
518 163		21.2 बिजली और पानी		777 807
262 371		21.3 रखरखाव		433 706
	22.	**स्थानीय परिवहन**		
—		22.1 गाड़ियाँ		—
161 734		22.2 रखरखाव		161 189
31 687 109			नीत शेष	35 256 383

वर्ष का आय-व्यय लेखा — जारी

आय

गतवर्ष रु०	क्रमांक	आय की मद	रु०
33 326 416		आनीत शेष	36 525 613
—		आय से व्यय की अधिकता	191 404
33 326 416		कुल योग	36 717 017

31 मार्च 1980 को समाप्त

देयताएँ

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०	रु०	रु०
	1.	**पूंजी लेखा**			
	1.1	पिछले तुलनपत्र के अनुसार		20 657 744	
	1.2	जमा: पूंजीकृत योजनाओं के लिए			
		क) गाजियाबाद प्रयोगशाला भवन के लिए	2 464 633		
		ख) प्रयोगशाला उपकरण	1 997 992		
		ग) बम्बई कार्यालय भवन	917 167	5 379 792	
				26 037 536	
	1.3	नामे			
		क) वर्ष 1978-79 के सरकारी अनुदान की अप्रयुक्त राशि का आय-व्यय लेखा को स्थानांतरण	631 034		
		ख) संलग्न आय-व्यय लेखा के अनुसार वर्ष 1979-80 में व्यय से आय की अधिकता	191 404	822 438	
				25 215 098	
20 657 744	1.4	जमा: निवेश भत्ता निधि के लिए आय-व्यय लेखा से ली गई रकम		100 000	25 315 098
	2.	**रिजर्व और निधि**			
	2.1	के. एल. मुद्गिल पारितोषिक निधि		12 524	
	2.2	ग्रेच्युइटी निधि		210 655	
	2.3	हितकारी निधि		61 622	
	2.4	गाजियाबाद में प्रयोगशाला भवन			
		क) प्राप्त सरकारी अनुदान	2 500 000		
		ख) जमा: वर्ष 1978-79 के अप्रयुक्त अनुदान से स्थानांतरित	62 332		
			2 562 332		
		ग) नामे: पूंजी लेखा को स्थानांतरित	2 464 633	97 699	
20 657 744		नीत शेष		382 500	25 315 098

वर्ष का तुलनपत्र

परिसम्पत्ति

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०	रु०	रु०
	1.	**अचल परिसम्पत्ति**			
	1.1	भवन (मुख्यालय)			
		क) लागत मूल्य के अनुसार	4 921 703		
		ख) नामे: मूल्य ह्रास की कटौती			
		i) 1979-03-31 तक	1 876 872		
3 044 831		ii) वर्ष 1979-80 के लिए	103 884	1 980 756	2 940 947
	1.2	मद्रास कार्यालय भवन			
		क) लागत मूल्य के अनुसार		1 133 556	
		ख) नामे: मूल्य ह्रास की कटौती			
		i) 1979-03-31 तक	37 291		
1 096 265		ii) वर्ष 1979-80 के लिए	35 464	72 755	1 060 801
	1.3	गाजियाबाद प्रयोगशाला का भवन (निर्माणाधीन)			
		क) पिछले तुलनपत्र के अनुसार		4 957 973	
4 957 973		ख) वर्ष 1979-80 में बढ़ती		2 464 633	7 422 606
	1.4	बम्बई कार्यालय भवन (निर्माणाधीन)			
		क) पिछले तुलनपत्र के अनुसार		204 072	
204 072		ख) वर्ष 1979-80 में बढ़ती		1 845 204	049 276
	1.5	कलछकत्ता कार्यालय भवन (निर्माणाधीन)			
2 117 585		क) पिर्मले तुलनपत्र के अनुसार			2 117 585
—	1.6	बम्बई कचारियों के लिए फ्लैट			478 800
	1.7	जीरॉक्स प्रतिलिपिकरण यंत्र			
		क) लागत मूल्य के अनुसार		292 000	
		ख) नामे: मूल्य ह्रास की कटौती			
		i) 1979-03-31 तक	156 439		
135 561		ii) वर्ष 1979-80 के लिए	26 082	182 521	109 479
	1.8	प्रयोगशाला उपकरण			
		क) 1979-03-31 तक मूल्य के अनुसार		7 049 477	
		ख) वर्ष 1979-80 में बढती		1 997 992	
11 556 287		नीत शेष		9 047 469	15 179 494

(जारी)

31 मार्च 1980 को समाप्त

देयताएँ

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०	रु०	रु०
20 657 744		आनीत शेष		382 500	25 315 098
	2.5	प्रयोगशाला उपकरण			
		क) प्राप्त सरकारी अनुदान	2 000 000		
		ख) जमा: वर्ष 1978-79 के अप्रयुक्त अनुदान से स्थानांतरित	13 997		
			2 013 997		
		ग) नामे: पूंजी लेखा को स्थानांतरित	1 997 992	16 005	
	2.6	बम्बई कार्यालय भवन			
		क) पिछले तुलनपत्र के अनुसार	570 278		
		ख) जमा: वर्ष 1979-80 में प्राप्तियाँ			
		i) सरकारी अनुदान 1 000 000			
		ii) दान 276 056	1 276 056		
			1 846 334		
		ग) नामे: पूंजी लेखा को स्थानांतरित	917 167	929 167	
	2.7	कलकत्ता कार्यालय भवन			
		क) पिछले तुलनपत्र के अनुसार	255402		
		ख) वर्ष 1979-80 में दान	78 986	334 388	
	2.8	पेंशन निधि		9 267 584	
	2.9	अंशदायी भविष्य निधि		12 112 070	
28 415 037	2.10	सामान्य भविष्य निधि		9 292 346	32 334 060
49 072 781		नीत शेष			57 649 158

वर्ष का तुलनपत्र — जारी

परिसम्पत्ति

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०	रु०	रु०
11 556 287		आनीत शेष		9 047 469	15 179 494
		ग) नामे: मूल्य ह्रास की कटौती			
		i) 1979-03-31 तक	2 231 661		
4 817 816		ii) वर्ष 1979-80 के लिए	591 868	2 823 529	6 223 940
	1.9	फर्नीचर तथा उपकरण			
		क) 1979-03-31 तक मूल्य के अनुसार		3 660 067	
		ख) कटौती: वर्ष 1979-80 में बेची गई परिसम्पत्ति का मूल्य		361	
				3 659 706	
		ग) वर्ष 1979-80 में बढ़ती		585 953	
				4 245 659	
		घ) नामे: मूल्य ह्रास में कटौती			
		i) 1979-03-31 तक	1 618 972		
		ii) वर्ष 1979-80 के लिए	309 155		
			1 928 127		
		iii) कटौती: वर्ष 1979-80 में बेची गई परिसम्पत्ति का मूल्य	276	1 927 851	2 317 808
	1.10	वाहन			
		क) 1979-03-31 तक की लागत के अनुसार		355 471	
		ख) कटौती: वर्ष 1979-80 में बेची गई वाहनों की कीमत		25 097	
				330 374	
		ग) नामे: मूल्य ह्रास में कटौती			
		i) 1979-03-31 तक	164 440		
		ii) वर्ष 1979-80 के लिए	35 548		
			199 988		
		iii) कटौती: वर्ष 1979-80 में बेची गई वाहनों की लागत पर कटौती	17 714	182 274	148 100
18 606 229		नीत शेष			23 869 342

(जारी)

31 मार्च 1980 को समाप्त

देयताएँ

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०	रु०	रु०
49 072 781		आनीत शेष			57 649 158
	3.	**ऋण भारत सरकार से**			
		3.1 वाहन अग्रिम		325 000	
		3.2 गृह निर्माण ऋण		2 700 000	
		3.3 बम्बई के कर्मचारियों के लिए फ्लैट			
		क) पिछले तुलनपत्र के अनुसार	200 000		
		ख) वर्ष 1979-80 में प्राप्त	300 000		
			500 000		
2 563 984		ग) नामे: वापस किये	100 000	400 000	3 425 000
	4.	**चालू देयताएँ**			
		4.1 अग्रिम चंदा (1980)		2 769 960	
		4.2 फुटकर उधार भुगतान			
		क) देश में	2 485 244		
		ख) विदेश में	1 651 240		
4 358 611		ग) बयाना	117 251	4 253 735	7 023 695
55 995 376		नीत शेष			68 097 853

वर्ष का तुलनपत्र — जारी

परिसम्पत्ति

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०	रु०	रु०
18 606 229		आनीत शेष			23 869 342
	1.11	पुस्तकालय की पुस्तकें			
		क) पिछले तुलनपत्र के अनुसार		590 419	
		ख) कटौती: वर्ष 1979-80 के लिए पुस्तकों का मूल्य		604	
				589 815	
590 419		ग) वर्ष 1979-80 में बढ़ती		193 473	783 288
	2.	**विनियोजन (लागत के अनुसार)**			
	2.1	बैंकों में जमा	525 000		
	2.2	भा मा संस्था कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी स्टोर के शेयर	7 500		
	2.3	जय इंजीनियरिंग वर्क्स के शेयर (के. एल. मुद्गिल पुरस्कार निधि)	11 400	543 900	
	2.4	पेंशन निधि		9 267 584	
	2.5	अंशदायी भविष्य निधि		12 112 070	
27 615 091	2.6	सामान्य भविष्य निधि		9 292 346	31 215 900
	3.	***चालू परिसम्पत्ति**			
	3.1	छपाई कागज का स्टाक (लागत के अनुसार)		1 091 155	
	3.2	फुटकर पावना			
		क) प्रकाशनों की बिक्री	755 520		
		ख) बुलेटिन विज्ञापन	92 454		
		ग) लाइसेंस, निरीक्षण प्रभार, आदि	165 722		
		घ) नागरिक पूर्ति मंत्रालय (एस एण्ड टी प्रायोजनाएं)	17 482		
		ङ) विदेश मंत्रालय (आई टी ई सी प्रशिक्षार्थियों के खाते)	24 055		
		च) वित्त मंत्रालय से प्राप्त			
		i) कोलम्बो योजना प्रशिक्षार्थी खाता 32 448			
		ii) एस सी ए ए पी प्रशिक्षार्थियों के खाते 9 706	42 154		
46 811 739		नीत शेष	1 097 387	1 091 155	55 868 530

*वर्ष के अंत में शेष भारतीय मानकों के स्टाक का मूल्य शामिल नहीं किया गया है।

(जारी)

31 मार्च 1980 को समाप्त

देयताएँ

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०
55 995 376		आनीत शेष	68 097 853
55 995 376		कुल योग	68 097 853

(आंकड़ों को रुपयों तक पूर्णांकों में बदल दिया गया है)

लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र

मैंने भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के लेखे की जाँच की है और इस सम्बन्ध में मुझे जिस जानकारी और व्याख्या की जरूरत हुई प्राप्त हुई, और अपने लेखा परीक्षण के परिणामस्वरूप मैं प्रमाणित करता हूँ कि मेरी राय में लेखे समुचित ढंग से तैयार किए गए हैं और मेरी श्रेष्ठतम जानकारी, और मुझे दी गई व्याख्याओं तथा संस्था की पुस्तकों में दिखाये तथ्यों के अनुसार ये लेखे संस्था का सच्चा और समुचित स्वरूप प्रस्तुत करते हैं।

नई दिल्ली
तिथि 10-11-1980

हस्ताक्षर
(एम. एस. सरना)
निदेशक (लेखा परीक्षा)

वर्ष का तुलनपत्र — जारी

परिसम्पत्ति

गतवर्ष रु०	क्रमांक		रु०	रु०	रु०
46 811 739		आनीत शेष	1 097 387	1 091 155	55 868 530
1 194 263		छ) भारत का इस्पात प्राधिकरण (आई पी एस एस आई योजना खाता)	23 356	1 120 743	2 211 898
	4.	**ऋण और अग्रिम**			
	4.1	ऋण			
		क) परिवहन के लिए	258 199		
		ख) गृह निर्माण	2 322 850	2 581 049	
	4.2	अग्रिम			
		क) त्यौहार के लिए	76 380		
		ख) बाढ़ के लिए	68 443		
		ग) स्टोर खरीदारी के लिए	354 804	499 627	
	4.3	प्रतिभूति के लिए जमा धन		134 527	
2 435 294	4.4	व्ययों के लिए पूर्व दत्त धन		26 472	3 241 675
	5.	**नकदी और बैंक शेष**			
	5.1	बैंक में (शाखा कार्यालयों के खाता II और III में रु० 275 000 सहित)		6 667 429	
	5.2	हाथ में (अग्रदाय सहित)		93 661	
5 554 080	5.3	डाक टिकट		14 660	6 775 750
55 995 376		कुल योग			68 097 853

हस्ताक्षर
(ए. के. गुप्ता)
महानिदेशक
भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली

हस्ताक्षर
(राज के. सेतिया)
निदेशक (लेखा)
भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली

भारतीय मानक संस्था के प्रमुख अधिकारी
(31 मार्च 1980 को)

अध्यक्ष, भा मा संस्था
और महापरिषद (जी सी)

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
केन्द्रीय वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री

महानिदेशक, भा मा संस्था

डा. ए. के. गुप्ता

उपाध्यक्ष, भा मा संस्था और अध्यक्ष
कार्यकारी समिति (ई सी)

श्री डी.सी. कोठारी

उपाध्यक्ष, भा मा संस्था और अध्यक्ष
वित्त समिति (एफ सी)

श्री हरीश महिन्द्रा

विभाग परिषद्

कृषि एवं खाद्य उत्पाद (कृ खा वि प)
अध्यक्ष
श्री सी. पी. नटराजन
उपाध्यक्ष
डा. एन. ए. रमैया

रसायन (र वि प)
अध्यक्ष
श्री एस. पी. भट्टाचार्य
उपाध्यक्ष
श्री एस. रामस्वामी

वस्त्रादि (व वि प)
अध्यक्ष
श्री जी. के. देवराजुलु
उपाध्यक्ष
श्री डी. एन. शराफ

सिविल इंजीनियरी (सि इं वि प)
अध्यक्ष
श्री एन. एस. एल राव
उपाध्यक्ष
प्रो. दिनेश मोहन
श्री आई. पी. कपिला

संरचना और धातु (सं धा वि प)
अध्यक्ष
श्री जे. जी. केसवानी
उपाध्यक्ष
श्री एम. धर
प्रो. वी. ए. अल्तेकर

उपभोक्ता उत्पाद और चिकित्सा उपकरण (उ चि वि प)
अध्यक्ष
कर्नल आर. डी. अय्यर
उपाध्यक्ष
ब्रिगे. जोगिन्दर सिंह

पैट्रोलियम, कोयला और सम्बद्ध उत्पाद (पे को वि प)
अध्यक्ष
डा. डी. बनर्जी
उपाध्यक्ष
डा. जे. एस. अहलूवालिया

इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूर संचारण (इ दू वि प)
अध्यक्ष
मेजर जनरल के. के. मेहता
उपाध्यक्ष
श्री टी. वी. श्री रंगन

यांत्रिक इंजीनियरी (यां इं वि प)
अध्यक्ष
मेजर जनरल आर. जनार्दनम्
उपाध्यक्ष
श्री अभिजीत सेन

जहाजरानी, भारवहन और पैकेजबंदी (ज भा पै वि प)
अध्यक्ष
श्री एस. परमानन्दन
उपाध्यक्ष
श्री ए. रे
कैप्टन एन. ए. तम्हाणे

विद्युत तकनीकी (वि त वि प)
अध्यक्ष
श्री जे. एस. झावेरी
उपाध्यक्ष
श्री पी. सी. मनकोडी

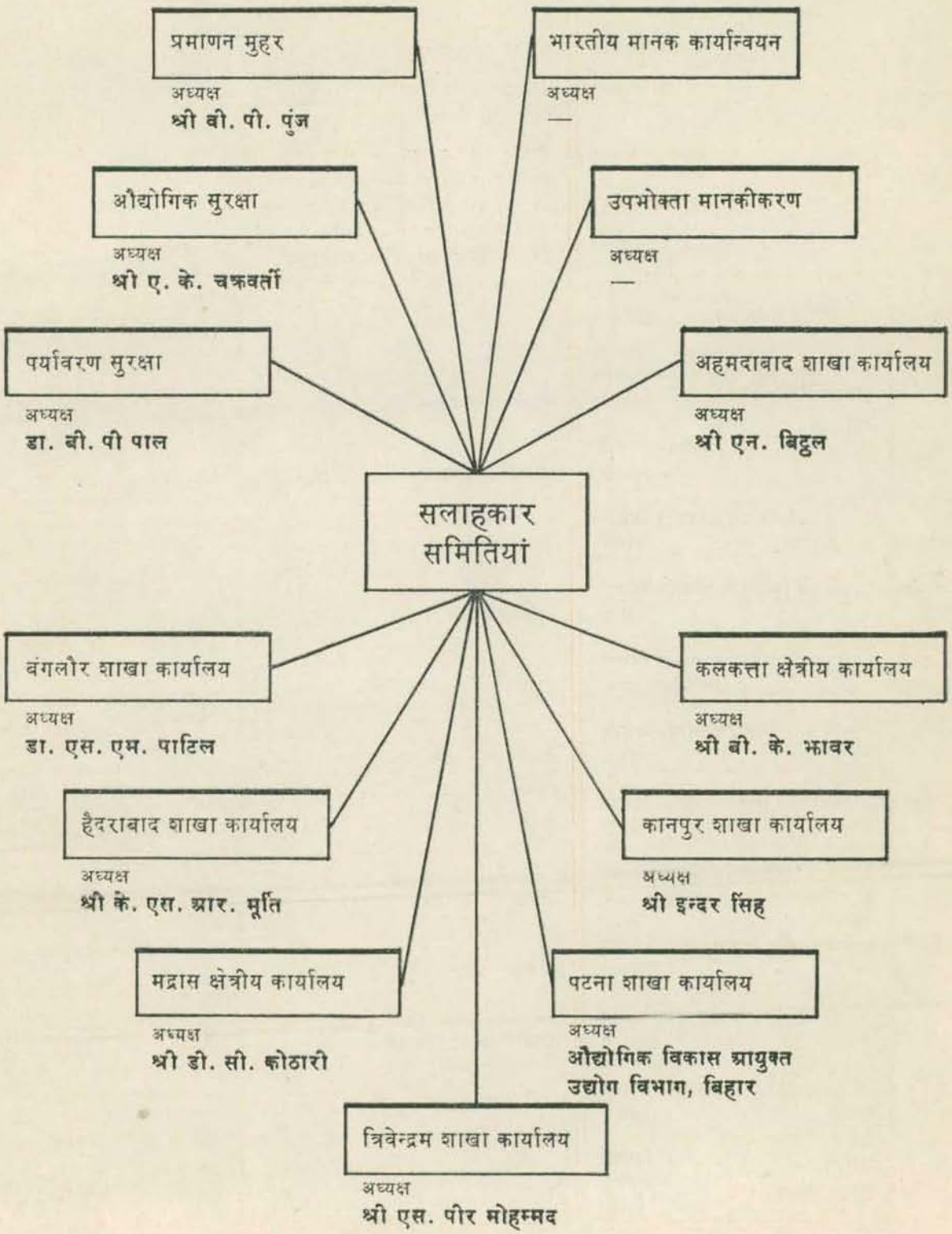
सलाहकार समितियां
प्रमाणन मुहर
अध्यक्ष
श्री बी. पी. पुंज
भारतीय मानक कार्यान्वयन
अध्यक्ष
—
औद्योगिक सुरक्षा
अध्यक्ष
श्री ए. के. चक्रवर्ती
उपभोक्ता मानकीकरण
अध्यक्ष
—
पर्यावरण सुरक्षा
अध्यक्ष
डा. बी. पी पाल
अहमदाबाद शाखा कार्यालय
अध्यक्ष
श्री एन. बिट्ठल
बंगलौर शाखा कार्यालय
अध्यक्ष
डा. एस. एम. पाटिल
कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय
अध्यक्ष
श्री बी. के. झावर
हैदराबाद शाखा कार्यालय
अध्यक्ष
श्री के. एस. आर. मूर्ति
कानपुर शाखा कार्यालय
अध्यक्ष
श्री इन्दर सिंह
मद्रास क्षेत्रीय कार्यालय
अध्यक्ष
श्री डी. सी. कोठारी
पटना शाखा कार्यालय
अध्यक्ष
औद्योगिक विकास आयुक्त
उद्योग विभाग, बिहार
त्रिवेन्द्रम शाखा कार्यालय
अध्यक्ष
श्री एस. पीर मोहम्मद

वरिष्ठ कर्मचारी (31 मार्च 1980 को)

महानिदेशक	डा. ए. के. गुप्ता
अपर महानिदेशक	श्री वाई. एस. वेंकटेश्वरन् श्री ए. पी. बनर्जी
उपमहानिदेशक	श्री एस. श्रीनिवासन — मुख्यालय श्री ए. एस. चीमा — विदेश में प्रतिनियुक्ति पर श्री राम डी. तनेजा — पूर्वी क्षेत्र डा. बी. एन. सिंह — पश्चिमी क्षेत्र श्री डी. अजित सिम्हा — मुख्यालय श्री एस. सुब्रह्मण्यन — दक्षिणी क्षेत्र
विभाग/अनुभाग	
कृषि तथा खाद्य उत्पाद विभाग निदेशक	श्री टी. पूर्णानन्दम्
रसायन विभाग निदेशक	डा. हरि भगवान
सिविल इंजीनियरी विभाग निदेशक	श्री जी. रामन
उपभोक्ता उत्पाद एवं चिकित्सा उपकरण विभाग निदेशक	श्री सोम प्रकाश
इलेक्ट्रॉनिकी तथा दूरसंचार विभाग उपनिदेशक/प्रमुख	श्री आर. सी. जैन
विद्युत तकनीकी विभाग निदेशक	श्री एस. पी. सचदेव
जहाजरानी, भारवहन और पैकेजबन्दी विभाग निदेशक	श्री पी. एस. दास
यांत्रिक इंजीनियरी विभाग उपनिदेशक/प्रमुख	श्री एस. चन्द्रशेखरन
पैट्रोलियम, कोयला और सम्बद्ध उत्पाद विभाग निदेशक	श्री एम. एस. सक्सेना
संरचना और धातु विभाग निदेशक	श्री सी. आर. रामराव
वस्त्रादि विभाग निदेशक	श्री एस. एम. चक्रवर्ती
लेखा विभाग निदेशक	श्री जी. वी. रामसुब्बन

कार्मिक प्रबन्ध विभाग	
सचिव	श्री सी. के. बसु
सामान्य सेवाएं	
निदेशक	श्री के. पी. खन्ना
केन्द्रीय मुहर विभाग	
निदेशक (के. मु. वि. II)	श्री आर. आई. मिड्ढा
उपनिदेशक/प्रमुख (के. मु. वि. I)	श्री ई. एन. सुन्दर
प्रमाणन मुहर विभाग (दिल्ली)	
निदेशक	डा. जी. एम. सक्सेना
कार्यान्वयन विभाग	
निदेशक	श्री एस. आर. कुपन्ना
प्रयोगशाला	
निदेशक	डा. एस. घोष
पुस्तकालय	
उपनिदेशक	श्री वी. पी. विज
जन सम्पर्क विभाग	
उपनिदेशक	श्री जे. के. भवनानी
प्रकाशन विभाग	
निदेशक	श्री गुरुचरण सिंह
सांख्यिकी विभाग	
निदेशक	श्री वाई. के. भट
तकनीकी सूचना सेवा	
निदेशक	श्री एस. पी. रामन
विधि एकक	
निदेशक	श्री गिरधारी लाल
कम्प्यूटर सेल	
उपनिदेशक	श्री डी. एस. अहलूवालिया
पूर्वी क्षेत्र कार्यालय	
निदेशक, इस्पात	श्री एच. पी. घोष
निदेशक, प्रमाणन मुहर	श्री एस. पी. बट्टू
निदेशक, प्रयोगशाला	डा. ए. के. भट्टाचार्य
दक्षिणी क्षेत्र कार्यालय	
निदेशक	श्री एम. रघुपति

पश्चिमी क्षेत्र कार्यालय	
निदेशक	श्री सी.बी. चांदोरकर
अहमदाबाद शाखा कार्यालय	
निदेशक	कु. एच. एन. मैथिली
बंगलोर शाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री एन. श्रीनिवासन
भोपाल शाखा कार्यालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री एम. मुरुगकर
भुवनेश्वर शाखा कार्यालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री सी.के. बेबर्ता
चंडीगढ़ शाखा कार्यालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री जी.एस. विल्खू
हैदराबाद शाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री एल. जी. बनर्जी
जयपुर शाखा कार्यालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री टी. एस. सुब्रह्मण्यन
कानपुर शाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री एस. एल. बाली
पटना शाखा कार्यालय	
निदेशक	श्री एस. के. कर्मकार
त्रिवेन्द्रम शाखा कार्यालय	
उपनिदेशक/प्रमुख	श्री पी. वेंकटरामन